राजस्थान बजट 2016–17: एक अवलोकन

वर्ष 2016–17 का बजट पेश करते हुए अपने बजट भाषण में मुख्यमंत्री वसुन्धरा राजे ने सभी वर्गों तथा क्षेत्रों को खुश करने का प्रयास किया। हालांकि बजट में प्रस्तुत आंकड़े पेश किये गये बजट भाषण में सकारात्मकता का समर्थन नहीं करते हैं। लेकिन बजट के आंकड़ों पर आने से पहले राज्य सरकार द्वारा पेश किये गये आर्थिक समिक्षा से उभर रही राज्य की आर्थिक स्थिति पर एक नजर डालना आवश्यक है।

आर्थिक समिक्षा के अनुसार राज्य के सकल घरेलु उत्पाद की वृद्धि की दर (स्थिर कीमतों पर) पिछले तीन वर्षों में 6 प्रतिशत वार्षिक से थोड़ी अधिक रही है। वहीं प्रति व्यक्ति आय (स्थिर कीमतों पर) मात्र साढ़े चार प्रतिशत वार्षिक की दर से बढ़ी है। अगर अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों की बात करें तो कृषि क्षेत्र में लगातार दूसरे वर्ष नकारात्मक वृद्धि हुई है तथा कुल मुल्य संवर्धन में कृषि का योगदान 2011–12 के 28 प्रतिशत से घटकर 2015–16 में 24 प्रतिशत पर आ गया है। औद्योगिक वृद्धि की दर भी पिछले दो वर्षों में 6 प्रतिशत से कम रही है तथा केवल सेवा क्षेत्र में ही वृद्धि दर पिछले दो वर्षों में 11 प्रतिशत के आस –पास रही है।

अब अगर ऐसे में हम राज्य सरकार द्वारा पेश किये गये बजट पर एक नजर डालें तो आंकड़े बहुत संतोषजनक नहीं हैं। राज्य में हालांकि पिछले वर्ष की अपेक्षा राजस्व आय में 1.06 लाख करोड़ रूपये (संशोधित अनुमान) से बढ़कर वर्ष 2016–17 में 1.23 लाख करोड़ हो जाने के अनुमान है वहीं राजस्व व्यय भी 1.12 लाख करोड़ से रूपये से बढ़कर 1.32 लाख करोड़ रूपये हो गया है, जिससे राजस्व घाटे में मामुली वृद्धि हुई है। साथ ही राजस्व आय में वृद्धि के साथ कुल योजनागत खर्च (उदय रहित) 56 हजार करोड़ से बढ़कर 67 हजार करोड़ हो गया है। जबकि कुल पूंजीगत खर्च (उदय रहित) 25 हजार करोड़ से बढ़कर 28 हजार करोड़ रूपये हुआ है।

मुख्यमंत्री के बजट भाषण की बात करें तो हर क्षेत्र के लिये कुछ ना कुछ महत्त्वपूर्ण घोषणाएं हुई हैं। एक तरफ जहां उद्योगों तथा व्यापार क्षेत्र के लिये कई घोषणाएं जैसे रीको द्वारा लैण्ड बैंक बनाया जाना, स्टार्ट अप पॉलिसी 2015, सभी जिलों में एमएसएमई फैसीलीटेशन सेंटर तथा बिजनेस इनक्युबेटर स्थापित करने आदि की घोषणा हुई वहीं कृषि में 40 हजार नये कृषि कनेक्शन देने, किसानों को पुराने पंप सेट देने के बदले कम विद्युत वाले नये पंप सेट देने की घोषणा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को लागू करने की घोषणा, दस जिलो में एक –एक प्रखण्ड को पूर्ण रूप से जैविक बनाने की घोषणाएं महत्तवपूर्ण हैं।

परन्तु किसानों को सस्तीदर पर बिजली उपलब्ध कराने के लिये अगले पांच साल में 205 करोड़ रूपये का अनुदान प्रस्तावित है जो प्रति वर्ष मात्र 41 करोड़ रूपये होता है। कृषि क्षेत्र को कुल आवंटन 6515. 93 करोड़ रूपये हैं जो पिछले वर्ष के बजट अनुमान से लगभग 24 प्रतिशत अधिक है। चुंकि पिछले वर्ष कृषि क्षेत्र में कोई खास वृद्धि नहीं हुई थी इसलिये यह वृद्धि महत्त्वपूर्ण है। सिंचाई क्षेत्र के लिये कुल आवंटन 4133 करोड़ रूपये है जो पिछले वर्ष से 664 करोड़ रूपये अधिक है। उसी प्रकार ग्रामिण विकास के लिये कुल आवंटन 14814.34 करोड़ रूपये किया गया है जो पिछले वर्ष से 1846 करोड़ रूपये अधिक है। कृषि तथा ग्रामिण क्षेत्रों के बिगड़ते हालात के मद्देनजर यह वृद्धि कितनी कारगर होगी यह देखना होगा। सड़क निर्माण पर कुल व्यय में भी पिछले वर्ष की अपेक्षा 872 करोड़ रूपये बढ़ाया गया है। लेकिन सड़क निर्माण के लिये हुई सारी घोषणाओं के मद्देनजर यह वृद्धि कुछ खास नहीं है।

सामाजिक सेवाओं के बजट में मामूली बढोतरी:

सामाजिक सेवाओं में शिक्षा पर कुल आंवटन 25464 करोड़ रूपये है जो पिछले वर्ष के बजट अनुमान से मात्र 6.8 प्रतिशत अधिक है। स्वास्थ्य में कुल आवंटन 9537 करोड़ है जो पिछले वर्ष के बजट अनुमान

से मात्र 1.2 प्रतिशत अधिक है। जबकि पोषण के लिये कुल आवंटन 1667 करोड़ रूपये है जो पिछले वर्ष से 27 करोड़ कम ही है।

बजट आवंटन पर खर्च नहीं:

बजट में जहां आवंटन के आकड़े हमेशा बढ़े हुए होते है वहीं संशोधित अनुमान हमेशा कम होते हैं। वर्ष 2014–15 में भी संशोधित अनुमान बजट अनुमानों से कम थे और चालु वर्ष (2015–16) में भी लगभग सभी क्षेत्रों में संशोधित अनुमान बजट अनुमानों से कम हैं। उदाहरण कृषि क्षेत्र में खर्च का संशोधित अनुमान बजट अनुमान से 100 करोड़ रूपये तथा सिंचाई में 200 करोड़ रूपये कम हुआ है। हालांकि ग्रामिण विकास में 2015–16 का संशोधित आवंटन 1094 करोड़ रूपये बढ़ा है। लेकिन सामाजिक सेवाओं, शिक्षा तथा स्वास्थ्य पर भी वर्ष 2016–17 में क्रमशः 1434 करोड़ तथा 1174 करोड़ रूपये कम खर्च होने का अनुमान है। पोषण पर कुल खर्च भी बजट अनुमान से 100 करोड़ रूपये कम होने का अनुमान है। इसका अर्थ यह है कि वास्तविक व्यय, विशेषकर सामाजिक क्षेत्र में बजट आवंटन से कम ही रहता है।

उदय योजनाः

इसके अलावा इस वर्ष बजट में एक बड़ी घोषणा उदय योजना के तहत बिजली वितरण कंपनीयों के ऋण का 75 प्रतिशत (लगभग 60 हजार करोड़) भार राज्य सरकार ने लेने का निर्णय किया है जिसमें से 40 हजार करोड़ रूपये 2015–16 में तथा 20 करोड़ रूपये 2016–17 में राज्य सरकार के कंधो पर आ जायेगा। इस बड़े परिवर्तन से राज्य का राजकोषिय घाटा ही नहीं बढ़ गया है बल्कि सरकार का ब्याज आदायगीयों पर खर्च भी बढ़ गया है।

वर्ष 2016–17 में ब्याज आदायगीयों पर खर्च में 5564 करोड़ की बढ़ोतरी हुई है। हालांकि सरकार की ब्याज अदायगीयों पर बढ़े खर्च से सरकार पर वित्तीय दबाव बढ़ा है लेकिन संपुर्ण रूप से यह बजट राज्य की अर्थव्यवस्था की चुनौतीयों का सामना करने में पूरी तरह सक्षम नहीं लगता। सरकार ने खर्च में बढ़ोतरी की है लेकिन उनमें से अगर ब्याज अदायगीयों पर बढोतरी को हटाएं तो राजस्व खर्च में विशेष वृद्धि नही हुई है। उसी प्रकार पूंजीगत खर्च में भी मात्र 3 हजार करोड़ की वृद्धि हुई है। ऐसे में आशा करें कि वर्ष 2016–17 में सरकार के आय व्यय के लक्ष्य पूर्ण होते हैं तथा इससे अर्थव्यवस्था को गति मिलती है। साथ ही अब यह देखना है कि बिजली कंपनीयों के कर्ज के बोझ में आई कमी से क्या अब बिजली कंपनीयां पहले से अधिक चुस्त दूरस्त तथा सक्षम रुप से काम करेगी।

राज्य में कृषि एवं सिंचाई का बजट

राजस्थान में कृषि क्षेत्र की स्थिति

राजस्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से देश का सबसे बड़ा राज्य है, जबकि जनसंख्या की दृष्टि से 8वां बड़ा राज्य है। राज्य का कुल क्षेत्रफल 3.42 करोड़ हैक्टेयर है, जो देश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का करीब 10.4 प्रतिशत है। इसी प्रकार 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य की जनसंख्या 6.86 करोड़ हो गई है, जो देश की कुल जनसंख्या का 5.67 प्रतिशत है। राज्य की करीब 60 प्रतिशत आबादी कृषि एवं संबंध गतिविधियों से जुड़े हैं। राज्य का उत्तर–पश्चिमी भाग थार का मरुस्थल है, जो राज्य के कुल क्षेत्रफल का 61 प्रतिशत है। इस भूभाग में वर्षा के अभाव के कारण निरंतर सुखा पड़ता है एवं फलस्वरुप राज्य की कृषि प्रभावित होने से बड़े पैमाने पर लोगों की आजीविका प्रभावित होती है। इसके

विपरीत राज्य का पूर्वी, उत्तरी–पुर्वी एवं दक्षिणी–पूर्वी भाग मैदानी है, जहां तुलात्मक रुप से अच्छी वर्षा होने के साथ कृषि पैदावार भी अच्छी होती है।

आर्थिक समीक्षा 2015–16 के अनुसारराज्य में वास्तविक बोया गया क्षेत्रफल 182.68 हैक्टेयर है, जो राज्य के कुल क्षेत्रफल का करीब 53.31 प्रतिशत है। कृषि संबंधी गणना 2010–11 के अनुसारराज्य में कुल जोतों की करीब 33.5 प्रतिशत (एक तिहाई) जोतें 1 हैक्टेयर से कम आकार की है, जो जोतों के कुल क्षेत्र का करीब 5 प्रतिशत है। इसी प्रकार लघु जोतों वाले किसानों का प्रतिशत 21.3 है, जो कुल क्षेत्र के 9 प्रतिशत पर है। अतः राज्य में तकरीबन 55 प्रतिशत जोतें लघु एवं सीमांत है, जिनके अन्तर्गत कुल जोतों के क्षेत्र का मात्र करीब 14 प्रतिशत क्षेत्र आता है। राज्य में करीब 20 प्रतिशत सीमांत मध्यम जोतें हैं, जिनका क्षेत्र 17 प्रतिशत है। इसके विपरित राज्य में मध्यम जोतों का प्रतिशत तकरीबन 18 प्रतिशत है, जिनक अन्तर्गत करीब 32 प्रतिशत क्षेत्र आता है। इसी प्रकार बड़ी जोतों का प्रतिशत करीब 7 प्रतिशत है, जिनके पास 36 प्रतिशत से अधिक क्षेत्र है।

राज्य में कुल कृषिगत क्षेत्र का 35 से 38 प्रतिशत क्षेत्र ही सिंचित है, जबकि शेष 62 से 65 प्रतिशत गैर सिंचित क्षेत्र है।राज्य में सिंचाई के विभिन्न स्रोतों पर सिंचाई की निर्भरता देखते हैं तो राज्य में 70 से अधिक सिंचाई, कुओं एवं नलकूप पर निर्भर है। अन्य स्रोतों की कमी के कारण कुओं एवं नलकूप द्वारा भूमिगत जल का तेजी विदोहन हो रहा है एवं भूमिगत जलस्तर निरंतर गिर रहा है।

राज्य में कृषि एवं संबंद्ध क्षेत्र तथा सिंचाई का बजट

तालिकाः राज्य के कुल बजट के अनुपात में कृषि एवं संबंद्ध क्षेत्र तथा सिंचाई एवं बाढ नियंत्रणका बजट

(रू करोड़ में)

वर्ष	कृषि एवं संबंद्ध क्षेत्र		सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण	
	कृषि एवं संबंद्ध क्षेत्र का बजट	राज्य के कुल व्यय प्रतिशत	सिंचाई एवं बाढ नियंत्रण का बजट	राज्य के कुल व्यय प्रतिशत
2014–15 (परिवर्तित बजट अनुमान)	5469.15	4.16	3379.65	2.5
2014–15(संशोधित अनुमान)	5260.68	4.17	3214.33	2.5
2014–15 (लेखे)	4537.8	3.89	2989.89	2.5
2015–16 (बजट अनुमान)	5232.55	3.7	3466.53	2.5
2015–16(संशोधित अनुमान)	5129.85	2.8	3246.55	1.79
2015–16 (बजट अनुमान)	6515.93	3.8	4131.22	2.4

स्रोत : बजट पुस्तीका, वित विभाग, राजस्थान सरकार

उपरोक्त तालिका में कृषि एवं संबंद्ध क्षेत्र तथा सिंचाई एवं बाढ नियंत्रण के बजट को राज्य के कुल बजट के अनुपात में दर्शाया गया है जिसके अनुसारराज्य सरकार ने इस वर्षअपने कुल व्यय की3.8 प्रतिशत राशि कृषि एवं संबंद्ध सेवाओं में तथा 2.4 प्रतिशत राशिसिंचाई एवं बाढ नियंत्रण व्यय करना अनुमानित किया है। यह लगभग गत वर्ष के बजटअनुमान के समान ही है परन्तु गत वर्ष के संशोधित अनुमान से ज्यादा है। अगर गत दो वर्षों के बजट को देखें तो पता चलता है कि 2015–16 के बजट अनुमान में राज्य सरकार ने अपने कुल बजट का 3.7 प्रतिशतकृषि एवं संबंद्ध क्षेत्रके लिये आवंटित किया जो कि 2014–15 के बजट अनुमान से 0.46 प्रतिशत कम है तथा इसे संशोधित अनुमान में और भी घटा कर 2.8 प्रतिशत कर दिया है। जबकी सिंचाई एवं बाढ नियंत्रणसंबंद्धित सेवाओं पर 2015–16 में राज्य के कुल बजट का 2.5 प्रतिशत आवंटित हुआ जिसे संशोधित अनुमान में घटा कर केवल 1.79

प्रतिशत कर दिया गया है। ऐसी स्थिती में जब कृषि क्षेत्र में पिछले कई वर्षों से वृद्धि की दर धीमी बनी हुई है राज्य सरकार ने कृषि एवं सिंचाई के आवंटन को पिछले वर्ष की तुलना में कोई बढ़ोत्तरी नहीं की है।

तालिकाः राज्य में कृषि एवं संबंद्ध क्षेत्र के लिये पिछले तीन का बजट (रू करोड़ में)

व्यय मद	2014-15 (परिवर्तित बजट अनुमान)	2014-15 (संशोधित अनुमान)	2014-15 (लेख)	2015-16 (बजट अनुमान)	2015-16 (संशोधित अनुमान)	2016-17 (बजट अनुमान)
राजस्व व्यय						
फसल कृषि कर्म	2396.98	2270.56	1833.27	2312.70	2248.72	3282.03
मृदा तथा जल संरक्षण	78.67	61.03	59.89	81.49	67.18	54.72
पशुपालन	743.27	703.25	576.48	714.43	638.16	721.52
डेरी विकास	28.59	25.94	13.2	8.19	5.83	8.7
मछली पालन	14.82	13.96	13.31	14.59	13.76	14.45
वानिकी तथा वन्य जीवन	827.30	780.48	710.5	833.97	826.45	876.69
खाद्य भंडारण तााि भंडागार	0.00	0.00	0	0.00	0	0.0001
कृषि अनुंसधान तथा शिक्षा	176.34	194.98	162.3	182.56	180.78	227.58
सहकारिता	420.19	623.55	611.5	643.24	628.36	634.1
अन्य कृषि कार्यक्रम	8.10	8.58	8.2	9.45	8.74	9.39
राजस्व व्यय योग	**4694.26**	**4652.32**	**3988.76**	**4800.62**	**4618.02**	**5829.21**
पुंजीगत व्यय						
फसल कृषि कर्म	395.38	237.16	299.5	243.55	253.44	534.51
मृदा तथा जल संरक्षण	0.37	0.13	0.27	1.28	0.4	0.2
पशुपालन	31.00	17.59	16.96	19.85	14.17	7.75
डेरी विकास	0.00	0.00	0	0.00	0.0001	0.0001
मछली पालन	2.75	3.10	1.37	1.80	2.01	1.37
वानिकी तथा वन्य जीवन	331.02	245.85	216.55	154.40	216.39	114.28
खाद्य भंडारण तााि भंडागार	0.00	0.00	0	0.00	0	0
कृषि अनुंसधान तथा शिक्षा	0	0.00	0	0.00	0	0
सहकारिता	14.38	14.38	14.37	11.05	25.39	0
अन्य कृषि कार्यक्रम	0.00	0.00	0	0.00	0	0
पूंजीगत व्यय योग	**774.89**	**608.36**	**549.04**	**431.93**	**511.83**	**686.72**
महायोग	**5469.15**	**5260.68**	**4537.8**	**5232.55**	**5129.85**	**6515.93**

स्रोत : बजट पुस्तीका, वित विभाग, राजस्थान सरकार

उपरोक्त तालिका के अनुसार कृषि एवं संबंद्ध क्षेत्र के लिये आवंटित बजट में इस वर्ष पिछले वर्ष के बजट अनुमान की तुलना में 1283.38 रू करोड़ की वृद्धि हुयी है।यह वृद्धि राजस्व एवं पूंजीगत दोनों ही व्ययमदों में फसल कृषि कर्म के लियेदेखी जा सकती है।हालांकि अगर पिछले दो वर्षों के बजट को देखें तो पता चलता है कि बजट अनुमान में आवंटित बजट को संशोधित बजट तथा लेखे में घटाया जाता रहा है। ऐसे में इस वर्ष के बजट अनुमान में आवंटित राशि का संशोधित बजट में घटने की

संभावना देखी जा सकती है। यह चिन्ताजनक है क्योंकि राज्य में कृषि की बिगडती स्थिति, कृषि क्षेत्र की धीमी वृद्धिदर तथा कृषि विभाग में खाली पदों को देखते हुए कृषि के लिये बजट आवंटन में वृद्धि करना अती आवश्यक है।

तालिकाः राज्य में कृषि एवं संबंद्ध क्षेत्र के लिये पिछले तीन का बजट (रू करोड़ में)

व्यय मद	2014-15 परिवर्तित बजट अनुमान	2014-15 संशोधित अनुमान	2014-15 लेखे	2015-16 बजट अनुमान	2015-16 संशोधित अनुमान	2016-17 बजट अनुमान
राजस्व व्यय						
मुख्य सिंचाई	1299.02	1299.02	1267.7	1368.72	1371.88	1435.08
मध्यम सिंचाई	275.42	275.42	255.5	282.98	280.82	302.85
लघु सिंचाई	210.01	210.01	176.69	194.39	187.59	204.11
कमान क्षेत्र विकास	27.30	27.30	19.32	21.93	19.89	21.19
योग राजस्व व्यय	**1811.75**	**1811.75**	**1719.29**	**1868.03**	**1860.2**	**1963.23**
पूंजीगत व्यय						
मुख्य सिंचाई	866.91	733.77	662.50	774.41	527.8	1469.86
मध्यम सिंचाई	106.35	95.18	92.01	54.81	151.4	80.4
लघु सिंचाई	456.45	472.91	435.56	631.98	530.1	458.2
बाढ़ नियंत्रण परियोजनायें	135.20	2.98	77.95	8.00	51.2	30
कमान क्षेत्र विकास	2.99	97.75	2.56	129.31	125.7	129.38
योग पूंजीगत व्यय	**1567.90**	**1402.58**	**1270.60**	**1598.51**	**1386.35**	**2167.99**
महायोग	**3379.65**	**3214.33**	**2989.89**	**3466.53**	**3246.55**	**4131.22**

स्रोत : बजट पुस्तीका, वित विभाग, राजस्थान सरकार

2016–17 में सिंचाई एवं बाढ नियंत्रणके लिये आवंटित बजट में गत वर्ष के बजट अनुमान की तुलना में 664.69 करोड़ रू की वृद्धि हुयी है। यह वृद्धि मुख्य रूप से पूंजीगत व्ययमद मेंमुख्य सिंचाई के हुयी है जिसे इस वर्ष गत वर्ष की तुलना में लगभगदोगुना कर दिया गया है। लेकिन अगर पिछले दो वर्षों के बजट को देखें तो पता चलता है कि बजट अनुमान में आवंटित राशि को कृषि एवं संबंद्ध क्षेत्रकी तरहा संशोधित बजट तथा लेखे में घटाया जाता रहा है।

राज्य में जलापूर्ति एवं सफाई की स्थिति

राजस्थान सरकार पिछले कई वर्षों से पेयजल आपूर्ति के लिये राज्य बजट से राशि आवंटन करती रही है तथा वर्तमान में सरकार ने भी पेयजल को अपनी प्राथमिकता में रखा है। राज्य बजट से जलापूर्ति एवं सफाई के लिये राशि आवंटन एवं इसकी जानकारी 2215 एवं 4215 बजट शीर्ष के माध्यम से दी जाती है जिसका विस्तृत विवरण बजट पुस्तिका आय व्ययक अनुमान खण्ड 2 स एवं 3 अ में उल्लेखित रखा गया है।

तालिकाः राज्य बजट की तुलना में जलापूर्ति एवं सफाई हेतु बजट **(राशि करोड में)**

	राज्य का बजट	जलापूर्ति एवं सफाई हेतु बजट	राज्य बजट में प्रतिशत	प्रतिशत वृद्धि
अनुमानित (2014–15)	131426.89	6671.03	5.08	-
संशोधित (2014–15)	126111.63	7002.42	5.55	4.97%
वास्तविक (2014–15)	116605.48	6565.54	5.63	-6.24%
अनुमानित (2015–16)	137713.39	6919.372	5.03	5.39%
संशोधित (2015–16)	137455.8	7040.87	5.12	1.76%
अनुमानित (2016–17)	151127.7	7959.05	5.27	13.04%

स्रोत – बजट पुस्तकों के आधार

वर्तमान वर्ष 2016–17 में जलापूर्ति एवं सफाई मद के लिये कुल **7959.05** करोड़ रू. का आवंटन किया गया है जो कि पिछले वर्ष के संशोधित अनुमान की तुलना में 13.04 प्रतिशत ज़्यादा है और राज्य के कुल बजेट का 5.27 प्रतिशत है। यदि पिछले वर्ष के बजट अनुमान से इस वर्ष के आवंटन की तुलना की जाये तो वह पिछले वर्ष की तुलना में 15.03 प्रतिशत अधिक है। ऊपरी तालिका से यह देखा जा सकता है की वास्तविक खर्च आवंटित एवं संशोधित खर्च से काफी कम है (2014–15)। वर्ष 2015–16 के संशोधित बजेट में आवंटित बजेट की तुलना में बढ़ोतरी हुई है।

तलिका : जलापूर्ति एवं सफाई हेतु आवंटित बजट का वितरण (राशि करोड में)

	आयोजना भिन्न	आयोजना	जलापूर्ति एवं सफाई हेतु बजट
अनुमानित (2014–15)	2026.10	4644.99	6671.03
संशोधित (2014–15)	2142.96	4859.45	7002.42
वास्तविक (2014–15)	2082.3	4483.22	6565.54
अनुमानित (2015–16)	2246.48	4673.24	6919.72
संशोधित (2015–16)	2515.08	4525.78	7040.87
अनुमानित (2016–17)	2510.52	5448.52	7959.05

स्रोत– बजट पुस्तकों के आधार

वर्तमान वर्ष 2016–17 में जलापूर्ति एवं सफाई मद में राजस्थान सकार द्वारा कुल 7959.05 करोड़ रू. का आवंटन किया गया है। इस वर्ष आवंटित कुल राशि में से लगभग 31.54 प्रतिशत आयोजना भिन्न मद में तथा लगभग 68.46 प्रतिशत आयोजना खर्च होनी प्रस्तावित है।

जलापूर्ति के आवंटन के अंतर्गत कुछ मुख्य योजनाओं हेतु आवंटन एवं केन्द्रीय सहायता की राशि को निम्न सारणी से समझा जा सकता है।

तालिकाः पेयजल हेतु मुख्य योजनाओं का बजट आवंटन (राशि करोड में)

क्र. सं.	योजना का नाम	अनुमानित (2014–15)	संशोधित (2014–15)	वास्तविक (2014–15)	अनुमानित (2015–16)	संशोधित (2015–16)	अनुमानित (2016–17)
1	राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल मिशन	280.41	245.21	189.53	280.41	367.61	281.18
2	समन्वित जल ग्रहण विकास कार्यक्रम	500.00	711.00	421.27	629.87	629.87	0.0003

स्रोत – बजट पुस्तकों के आधार

इस वर्ष राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल मिशन हेतु पिछले वर्ष की तुलना में लगभग 35 करोड़ रू. कम राशि का आवंटन किया गया है। यदि देखा जाये तो राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल मिशन के लिये पिछले वर्ष के संशोधित अनुमान तथा इस वर्ष सम्पूर्ण राशि का प्रावधान केन्द्रीय सहायता के अंतर्गत किया गया है। इस वर्ष समन्वित जल ग्रहण विकास कार्यक्रम के लिये पिछले वर्ष के बजट अनुमान की तुलना में लगभग 129 करोड़ रू. अधिक तथा पिछले वर्ष के संशोधित अनुमान की तलना में लगभग 80 करोड़ रू. कम राशि का आवंटन किया गया है। यदि देखा जाये तो समन्वित जल ग्रहण विकास कार्यक्रम के लिये इस वर्ष पिछले वर्ष के बजट अनुमान तथा संशोधित अनुमान से कम राशि का आवंटन केन्द्रीय सहायता के अंतर्गत किया गया है।

राजस्थान में शिक्षा एवं बजट

भारत विश्व के निम्न मानव विकास सूचकांक वाले देशों में आता है। 2014 के मानव विकास सूचकांक के अनुसार भारत विश्व के 180 देशों में 130वें पायदान पर है जो बेहद ही शर्मनाक स्थिति है। देशों में शिक्षा की स्थिति मानव विकास सूचकांक का एक हिस्सा है। संयुक्त राष्ट्र द्वारा प्रकाशित सहस्त्राब्दि विकास लक्ष्य और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स 2015 में शिक्षा पर विशेष जोर दिया गया है। भारत में फिलहाल 29 राज्य और 7 संघ राज्य है। अगर इन राज्यों का मानव विकास सूचकांक देखें तो हम पाएंगे कि राजस्थान निम्न सूचकांक वाले राज्यों में है। राजस्थान में शिक्षा की स्थिति भी अन्य राज्यों की तुलना में बहुत खराब है। 2011 के जनगणना प्रतिवेदन के अनुसार राज्य में साक्षरता दर 67.06 प्रतिशत है, जो देश की औसत साक्षरता दर (74.04 प्रतिशत) से कम है। वर्ष 2001 से 2011 के बीच राजस्थान भारत के राज्यों और संघीय प्रदेशों की सूची में 4 पायदान लुढ़ककर के 29वें स्थान से 33वें स्थान पर पहुँच गया है। पुरूष एवं महिला साक्षरता दर के मामले में भी राजस्थान बाकि राज्यों और संघ राज्यों से बहुत पीछे है। 2011 के जनगणना प्रतिवेदन के अनुसार राज्य में पुरूष साक्षरता दर 80. 51 है जबकि महिला साक्षरता दर केवल 52.66 प्रतिशत है। भारत में महिला साक्षरता की दृष्टि से राजस्थान सबसे निचले पायदान पर है।

असर 2014 के रिर्पोट के अनुसार राजस्थान में कक्षा एक से आठवीं तक के बच्चों में से 43.5 प्रतिशत बच्चे निजी स्कूलों में पढ़ रहे हैं। इसके अलावा डाइस (DISE) द्वारा हर साल प्रस्तुत किये जाने वाले राज्य रिर्पोट कार्ड के अनुसार राज्य में प्राथमिक शिक्षा में ड्रॉप आउट रेट लगभग 40 प्रतिशत के आस पास है। इसी रिर्पोट के अनुसार राज्य में लड़कियों का नामांकन प्रतिशत केवल 46 प्रतिशत है। जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान में ग्रामिण सारक्षरता दर (62.34) में देश के अन्तिम पाँच राज्यों में से एक है। शिक्षा के अधिकार कानून हेतु तय मापदंडों के अनुसार भी राज्य की स्थिति बेहद खराब है। प्रस्तुत आलेख में राज्य में शिक्षा की स्थिति एवं आवंटित बजट का विश्लेषण प्रस्तुत किया गया है।

विद्यालयों में बुनियादी सुविधाओं की स्थितिः राज्य के विद्यालयों में बुनियादी सुविधाओं की स्थिति बेहद कमजोर है जिसका विवरण इस खंड में दर्शाया गया है।

तालिकाः प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में बुनियादी सुविधाओं की स्थिति (प्रतिशत) (आधार वर्ष 2014–15)

सुविधाएं	केवल प्राथमिक	केवल उच्च प्राथमिक	कुल
पेयजल की सुविधा	93.5	99.6	96.3
लड़कों हेतु शौचालय की सुविधा	96.4	98.5	98.1
लड़कियों हेतु शौचालय की सुविधा	93.7	97.5	96.1
बिजली की सुविधा	21.2	87.6	50.0
विद्यालय में चार दीवारी	69.8	91.5	82.5
खेल का मैदान	34.1	64.9	48.9
छप्पर सहित रसोई घर	69.8	62.9	71.6

स्त्रोत : डाइस स्टेट रिर्पोट कार्ड 2014–2015

उपरोक्त तालिका के अनुसार राज्य के करीब 4 प्रतिशत विद्यालयों में पेयजल की सुविधा का अभाव है एवं करीब 2 प्रतिशत विद्यालयों में लड़कों हेतु शौचालय की सुविधा व 4 प्रतिशत में छात्राओं हेतु शौचालयों का अभाव है। राज्य में करीब 50 प्रतिशत से अधिक विद्यालयों में खेल का मैदान नहीं हैं,

प्राथमिक विद्यालयों में यह समस्या और अधिक है। इसी प्रकार करीब 50 प्रतिशत विद्यालय ऐसे हैं जिनमें बिजली की सुविधा उपलब्ध नहीं है।

तालिकाः प्रदर्शन सूचकांक (आधार वर्ष 2014–15)

प्रदर्शन सूचकांक	प्राथमिक (प्रतिशत में)	समस्त विद्यालय (प्रतिशत में)
एकल कक्षा– कक्ष वाले विद्यालय	6.3	3.5
एकल अध्यापक वाले विद्याालय	25.0	11.8
विधार्थी–शिक्षक अनुपात (पी.टी.आर)	23	20
विधार्थी कक्ष अनुपात (एस.सी.आर.)	18	21
प्रति विद्यालय औसत अध्यापक	2.3	5.1

स्त्रोत : डाइस डेटा, स्टेट रिर्पोट कार्ड 2014–2015

राज्य में करीब 3.5 प्रतिशत ऐसे विद्यालय हैं जो कि मात्र एक ही कक्षाकक्ष में चल रहे हैं और राज्य में कुल 6.3 प्रतिशत प्राथमिक विद्यालयों में मात्र एक ही कक्षाकक्ष है। राज्य में कुल 12 प्रतिशत ऐसे विद्यालय हैं जिन्हें सिर्फ एक ही शिक्षक द्वारा संचालित किया जा रहा है। वहीं प्राथमिक शिक्षा स्तर पर लगभग 25 प्रतिशत विद्यालय मात्र एक ही शिक्षक के सहारे चल रहे हैं। इसी प्रकार प्राथमिक विद्यालयों में विधार्थी शिक्षक अनुपात 23 है और राज्य की कुल विधार्थी शिक्षक अनुपात 20 है। राज्य में प्रति विद्यालय औसत अध्यापक 5.1 है और ये अनुपात प्राथमिक विद्यालयों में 2.3 है।

तालिकाः विद्यालयों में शिक्षकों के स्वीकृत एवं रिक्त पद (आधार वर्ष 2014–15)

विद्यालय प्रकार/शिक्षक स्तर	स्वीकृत पद	रिक्त पद (प्रतिशत में)
आदर्श विद्यालय		
व्याख्याता	9684	3840 (39.65)
वरिष्ठ अध्यापक	5536	1578 (28.5)
तृतीय श्रेणी अध्यापक	8369	940 (11.23)
सभी विद्यालय		
व्याख्याता	47327	18191 (38.44)
विषय अध्यापक	–	16415
तृतीय श्रेणी अध्यापक	–	37580

स्त्रोत : सरकार से प्राप्त सूचना के आधार पर

राज्य के विद्यालयों में मानव संसाधन की स्थिति बेहद खराब है, विभिन्न प्रकार के विद्यालयों में शिक्षको के हजारों पद रिक्त हैं। सरकार से प्राप्त सूचना के आधार पर राज्य में तृतिय श्रेणी शिक्षकों के करीब 37580 पद, विषय अध्यापकों के 16415 पद एवं व्याख्याताओं के करीब 18191 पद रिक्त हैं। इसी प्रकार राज्य के आदर्श विद्यालयों में भी भारी संख्या में पद खाली हैं, इन विद्यालयों में व्याख्याता के करीब 40 प्रतिशत, वरिष्ठ अध्यापकों के 28.5 प्रतिशत एवं तृतीय श्रेणी अध्यापकों के करीब 11 प्रतिशत पद रिक्त

है। जबकि सोचने वाली बात यह है कि डाईस के अनुसार राज्य के विद्यालयों में विधार्थी–शिक्षक अनुपात (पी.टी.आर) काफी अच्छा है।

राजस्थान में शिक्षा बजटः नीचे दी गयी तालिका के अनुसार वर्ष 2016–17 हेतु पेश किये गये बजट में शिक्षा पर आवंटन में गत वर्षों की तुलना में वृद्धि हुई है। इस वर्ष करीब 25461.78 करोड़ रू आवंटित किये हैं जो गत वर्ष के संशोधित बजट से करीब 12 प्रतिशत अधिक है। गत वर्ष 2015–16 हेतु पेश किये गये बजट में शिक्षा हेतु करीब 23824.57 करोड़ रू आवंटित किये गये थे जिसको संशोधित बजट में कम करके करीब 22391.26 करोड़ रू कर दिया गया है। विगत वर्षों के दौरान राज्य में अधिकांश राशि गैर आयोजना मद के अंतर्गत आवंटित एवं व्यय की गयी है जबकि आयोजना मद के अंतर्गत बहुत ही कम राशि व्यय की गयी। हालांकि वर्ष 2010–11 के बाद के वर्षों के बजट में आयोजना मदों के अन्तर्गत व्यय में बढ़ोतरी होती नजर आती है। सरकार द्वारा शिक्षा पर किये गए कुल व्यय में पूंजीगत व्यय मात्र करीब 2 प्रतिशत है, जबकि तकरीबन 98 प्रतिशत राजस्व व्यय रहता है।

तालिकाः राजस्थान में सरकार का शिक्षा हेतु बजट एवं व्यय **(राशि करोड़ में)**

मद	2010–11 वास्तविक	2011–12 वास्तविक	2012–13 वास्तविक	2013–14 वास्तविक	2014–15 वास्तविक	2015–16 बजट अनुमान	2015–16 संशोधित अनुमान	2016–17 बजट अनुमान
गैर आयोजना व्यय	8538.11 (83.41)	9195.77 (78.84)	10512.44 (80.42)	12072.33 (78.54)	13110.82 (77.51)	14728.70 (61.8)	13921.97 (62.2)	13929.8 (54.7)
आयोजना व्यय	1581.34 (15.45)	2303.92 (19.75)	2373.77 (18.16)	3065.94 (19.95)	6308.51 (32.49)	9095.87 (38.2)	8469.28 (37.8)	11531.98 (45.3)
केन्द्र प्रवर्तित योजना	116.75 (1.14)	164.29 (1.41)	186.48 (1.43)	232.75 (1.51)	*	*	*	*
कुल व्यय	10236.21	11664.00	13072.70	15371.02	19419.3	23824.57	22391.26	25461.78

स्रोत : बजट पुस्तिका, वित्त विभाग, राजस्थान, संबंधित वर्ष

नोट : शिक्षा पर कुल व्यय में सामान्य शिक्षा, तकनिकी शिक्षा, खेलकूद एवं युवा सेंवाएं, कला एवं संस्कृति का राजस्व एवं पूंजीगत व्यय का योग है। *वर्ष 2014–15 से केन्द्र प्रवर्तित योजना की राशि आयोजना व्यय में शामिल की जा रही है।

सामान्य शिक्षा पर राजस्व व्ययः

शिक्षा बजट में वर्ष 2015–16 तक राजस्व व्यय की करीब आधे से अधिक (54 से 60 प्रतिशत) राशि प्राथमिक शिक्षा पर आवंटित एवं व्यय की जाती थी, जबकि माध्यमिक शिक्षा पर करीब 33 से 39 प्रतिशत राशि व्यय की जाती रही है। जबकि वर्ष 2015–16 के संशोधित बजट एवं 2016–17 के बजट अनुमान में प्राथमिक शिक्षा में कटौती कर माध्यमिक शिक्षा में बढोतरी की गयी है। कुल शिक्षा बजट का केवल 4.91 प्रतिशत ही उच्च शिक्षा पर व्यय हो रहा है। इसके अलावा पिछले वर्षो की तुलना में इस वर्ष प्रोढ़ शिक्षा एवं भाषा विकास में भी थोड़ी कमी देखने को मिली है।

तालिकाः सामान्य शिक्षा पर राजस्व व्यय (2202) (राशि करोड़ में)

मद	2012–13 वास्तविक	2013–14 वास्तविक	2014–15 संशोधित	2014–15 वास्तविक	2015–16 बजट अनुमान	2015–16 संशोधित अनुमान	2016–17 बजट अनुमान
प्राथमिक शिक्षा	7557.26 (59.36)	8463.62 (56.4)	11749.59 (58.33)	11518.76 (60.80)	13614.55 (58.39)	10854.36 (49.74)	11787.72 (47.51)
माध्यमिक शिक्षा	4106.66 (32.26)	5265.20 (35.1)	7050.79 (35.01)	6269.00 (32.86)	8246.16 (35.36)	9489.67 (43.49)	11442.90 (46.12)
उच्च शिक्षा	898.93 (7.06)	1065.95 (7.1)	1020.37 (5.07)	996.88 (5.23)	1076.50 (4.62)	1175.48 (5.39)	1226.54 (4.94)
प्रोढ़ शिक्षा	8.72 (0.07)	29.15 (0.2)	59.4343 (0.30)	57.50 (0.30)	87.46 (0.38)	40.17 (0.18)	68.10 (0.27)
भाषा विकास	116.62 (0.92)	141.37 (0.9)	194.12 (0.96)	175.60 (0.92)	212.82 (0.91)	191.04 (0.88)	205.31 (0.83)
सामान्य	40.03 (0.34)	53.75 (0.4)	67.58 (0.34)	58.82 (0.31)	79.90 (0.34)	69.86 (0.32)	82.31 (0.33)
कुल	12731.24 (100)	15019.08 (100)	20141.91 (100)	19076.56 (100)	23317.4 (100)	21820.61 (100)	24812.91 (100.)

स्रोत : बजट पुस्तिका, वित विभाग, राजस्थान, संबंधित वर्ष
नोट : ( ) में विभिन्न मदों का कुल व्यय से प्रतिशत है।

सामान्य शिक्षा पर पूंजीगत व्यय :

तालिकाः शिक्षा, खेल कुद कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत व्यय (4204) (राशि करोड़ में)

वर्ष	2012–13 वास्तविक	2013–14 वास्तविक	2014–15 संशोधित अनुमान	2014–15 वास्तविक	2015–16 बजट अनुमान	2015–16 संशोधित अनुमान	2016–17 बजट अनुमान
राशि	120.23	63.36	76.19	56.40	116.90	170.04	239.13

स्रोत : बजट पुस्तिका, वित विभाग, राजस्थान, संबंधित वर्ष

सरकार द्वारा शिक्षा पर किये गए कुल व्यय में पूंजीगत व्यय एक प्रतिशत से भी कम है, जबकि करीब 99 प्रतिशत से ज्यादा राजस्व व्यय है। अतः शिक्षा पर कुल व्यय में अधिकांश व्यय राजस्व मदों के अंतर्गत किया जाता है। शिक्षा हेतु पूंजीगत बजट में वर्ष 2016–17 के बजट अनुमान में 2015–16 के बजट अनुमान की तुलना में कोई विशेष बढ़ोतरी नहीं की गयी है।

राज्य में सर्व शिक्षा अभियान का बजट :

सर्व शिक्षा अभियान, देश में प्राथमिक शिक्षा के सर्वव्यापीकरण की प्राप्ति व शिक्षा में जेण्डर–गैप खत्म करने हेतु भारत सरकार का एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम (फ्लैगशिप प्रोग्राम) है। यह कार्यक्रम विद्यालयी शिक्षा एवं बुनियादी सुविधाओं के अभाव वाली बस्तियों एवं क्षेत्रों के विद्यालयों में कक्षा कक्षों का निर्माण, शौचालय निर्माण, अतिरिक्त शिक्षकों नियुक्ति एवं पीने के पानी की व्यवस्था आदि सुविधाओं के विकास हेतु वर्ष 2001–02 से चलाया जा रहा है। सर्व शिक्षा अभियान के प्रमुख उद्देश्यों में 6–14 वर्ष की आयु वर्ग के सभी बच्चों को वर्ष 2007 तक प्राथमिक शिक्षा एवं 2010 तक उच्च प्राथमिक शिक्षा प्रदान करने

का लक्ष्य रखा था। इसके अलावा शिक्षा के अधिकार कानून के बेहतर क्रियांवयन को सुनिश्चित करना भी सर्व शिक्षा अभियान का एक प्रमुख उद्देश्य है।

केन्द्र सरकार ने सर्व शिक्षा अभियान कार्यक्रम के अन्तर्गत अपना सहायता अनुपात भी धीरे–धीरे कम कर दिया गया है। जब वर्ष 2001–02 में सर्व शिक्षा अभियान शुरू किया गया तो, उस समय केन्द्र एवं राज्य का अनुपात क्रमशः 85:15 था, जिसको बाद के वर्षो में कम करके 75:25 कर दिया गया। वर्ष 2011–12 से 2014–15 के दौरान बजट में केन्द्र सरकार ने अपना हिस्सा और कम करके क्रमशः 62 व 65.5 प्रतिशत के करीब कर दिया। इस वर्ष के प्रस्तावित बजट में केन्द्र सरकार ने अपना हिस्सा और कम करके मात्र करीब 26 प्रतिशत ही रखा है।

वर्ष 2014–15 से केन्द्र सरकार द्वारा सर्व शिक्षा अभियन हेतु आवंटित होने वाले बजट को राज्य के आयोजना बजट में शामिल किया गया था। इससे पहले सर्व शिक्षा अभियान की रायिश केन्द्र सकरार द्वारा राज्य के प्रारंभिक शिक्षा परिषद को प्रदान की जाती थी। यह राशि अब राज्य सरकार को प्रदान की जाती है। सर्व शिक्षा अभियान की अधिकांश राशि शिक्षकों के वेतन पर व्यय होती है, वित्तीय वर्ष 2016–17 में एस.एस.ए. के कुल आंवटित बजट का लगभग 90 प्रतिशत वेतन भत्ते के लिए आवंटित किया गया है। वित्तीय वर्ष 2016–17 में एस.एस.ए. के केंद्रीय अनुदान के कुल आंवटित बजट में 2015–16 के बजट अनुमान में केंद्रीय अनुदान राशि की तुलना में बढ़ोतरी देखने को मिली है। जबकि राज्यांश राशि में लगभग 50 प्रतिशत की कमी की गयी है। वित्तीय वर्ष 2016–17 के बजट अनुमान में एस.एस.ए के कुल बजट में 2015–16 के बजट अनुमान की तुलना में लगभग 457 करोड़ रूपये की कमी की गयी है, जो निराशाजनक है।

तालिकाः राज्य में सर्व शिक्षा अभियान का बजट **(राशि करोड़ में)**

मद/वर्ष	2012–13 संशोधित अनुमान	2013–14 बजट अनुमान	2014–15 बजट अनुमान	2014–15 संशोधित अनुमान	2014–15 वास्तविक व्यय	2015–16 बजट अनुमान	2015–16 संशोधित अनुमान	2016–17 बजट अनुमान
केन्द्रीय अनुदान	2368.45 (65.54)	2388.28 (65.18)	2874.01 (66.20)	2858.91 (68.21)	–	1296.71 (26.00)	2615.00 (64.97)	2718.43 (60)
राज्यांश	1245.24 (34.46)	1275.73 (34.82)	1467.55 (33.80)	1332.64 (31.79)	–	3690.63 (74.00)	1410 (35.03)	1812.28 (40)
कुल योग	3613.69 (100)	3664.01 (100)	4341.56 (100)	4191.55 (100)	4119. 648	4987.34 (100)	4025 (100)	4530.71 (100)

स्रोत : बजट पुस्तिका, वित विभाग, राजस्थान, संबंधित वर्ष

माध्यमिक शिक्षा अभियान का बजट :

तालिकाः राज्य में माध्यमिक शिक्षा अभियान का बजट **(राशि करोड़ में)**

मद	2014–15 बजट अनुमान	2014–15 संशोधित अनुमान	2014–15 वास्तविक व्यय	2015–16 बजट अनुमान	2015–16 संशोधित अनुमान	2016–17 बजट अनुमान
कुल	1155.54	551.57	413.50	1086.48	721.87	1538.00
केन्द्रीयांश	685.07	301.18		814.86	410.32	900.00

स्रोत : बजट पुस्तिका, वित विभाग, राजस्थान, संबंधित वर्ष

उपरोक्त तालिका के अनुसार इस वर्ष राज्य में माध्यमिक शिक्षा अभियान का बजट गत वर्ष के बजट अनुमान की तुलना में लगभग 452 करोड़ रू. की बढ़ोतरी की गयी है। उपरोक्त आंकड़ों के अनुसार सरकार माध्यमिक शिक्षा अभियान का बजट के लिए आवंटित राशि खर्च नहीं कर पा रही है, अगर हम 2014–15 एवं 2015–16 के संशोधित अनुमान की राशि देखें तो हमें ज्ञात होगा कि ये इन वर्षो के बजट अनुमान से काफ़ी कम है।

प्रारंभिक शिक्षा में प्रति बालक एवं प्रति विद्यालय हेतु एक वर्ष का बजट का आंकलनः

तालिकाः प्रारंभिक शिक्षा में प्रति बालक एवं प्रति विद्यालय हेतु एक वर्ष का बजट

मद/वर्ष	2014–15	2015–16	2016–17
कुल बजट (राशि करोड़ रु. में)	11519	10854.3	11787.7
कुल नामांकित बच्चे (लाख में)	60.75	63.89	–
प्रति बालक बजट राशि (राशि रु. में)	18961.25	16989	18450*
कुल विद्यालय (प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक)	79098	80086	–
प्रति विद्यालय (राशि लाख रु. में)	14.56	13.55	14.72*

स्रोत : 1. बजट पुस्तिका, वित विभाग, राजस्थान, संबंधित वर्ष 2. आर्थिक समिक्षा, राजस्थान सरकार, 2015–16

नोटः *वर्ष 2016–17 के लिये प्रति बालक एवं प्रति विद्यालय बजट की गणना 2015–16 को आधार मानकर की गयी है।

उपरोक्त तालिका के अनुसार राज्य में वर्ष 2014–15 में प्रति बालक करीब 18961.25 रु खर्च किये गये। जबकि संशोधित बजट के अनुसार वर्ष 2015–16 में प्रति बालक करीब 16989 रु. एवं वर्ष 2016–17 के बजट अनुमान के अनुसार इस साल प्रति बालक करीब 18450 रु आवंटित किये गये हैं। इसी प्रकार वर्ष 2014–15 में प्रति विद्यालय करीब 14.56 लाख रु खर्च किये गये। जबकि वर्ष 2015–16 में प्रति विद्यालय करीब 13.55 लाख रु एवं वर्ष 2016–17 में प्रति विद्यालय करीब 14.72 लाख रु आवंटित किये गये हैं।

विद्यालयों को मिलने वाला अनुदानः राज्य में विद्यालयों को निम्न प्रकार के वार्षिक अनुदान मिलते हैं जिस पर विद्यालय प्रबंध समिती (SMC) का नियंत्रण रहता है :

- विद्यालय सुविधा अनुदान (SFG) : विद्यालय सुविधा अनुदान (School Facilities Grant) के अंतर्गत प्रत्येक प्राथमिक विद्यालय को 5000 रु जबकि उच्च प्राथमिक विद्यालय को 7000 रु मिलते हैं।
- विद्यालय मरम्मत एवं नवीनीकरण अनुदान (SMRG) : विद्यालय मरम्मत एवं नवीनीकरण अनुदान (School Maintenance Renovation Grant) के अंतर्गत यदि विद्यालय में 3 या इससे कम कमरे हैं तो 5000 रु और यदि 3 कमरों से अधिक है तो 10000 रु मिलते हैं।
- टीएलएम अनुदान (Teaching Learning Material Grant) : टीएलएम अनुदान 2 वर्ष से बंद है।

उपरोक्त विश्लेषण से स्पष्ट होता है कि राज्य के विद्यालयों में भौतिक एवं मानवीय संसाधनों की कमी है अतः सरकार को विद्यालयों में मूलभूत सुविधाओं एवं संसाधनों का विकास करना चाहिये। इसके साथ ही शिक्षकों के रिक्त पदों को शिघ्र भरना चाहिये। इस हेतु राज्य में शिक्षा पर बजट खर्च को बढाना चाहिये, क्योंकि वर्तमान में सरकार राज्य में सकल घरेलू राज्य उत्पाद का मात्र 3 प्रतिशत ही शिक्षा पर खर्च कर रही है। जबकि कोठारी आयोग की सिफारिशों के अनुसार सकल घरेलू उत्पाद का कम से कम 6 प्रतिशत शिक्षा पर व्यय किया जाना चाहिये। इसके अलावा विद्यालयों की शैक्षणिक गतिविधियों,

बजट खर्च एवं इनको मिलने वाले विभिन्न अनुदानों की निगरानी एवं इनके उपयोग में समुदाय की भागीदारी सुनिश्चित की जानी चाहिये।

राजस्थान सरकार का स्वास्थ्य हेतु बजट

स्वास्थ्य एवं पोषण मानव विकास की दृष्टि से महत्त्वपूर्ण सूचक है एवं समाज के सामजिक एवं आर्थिक विकास से प्रत्यक्ष एवं परोक्ष रुप से जुड़ा हुआ है। लेकिन देश में स्वास्थ्य एवं पोषण पोषण के हालात बेहद कमजोर हैं साथ ही बड़ी संख्या में महिलायें एवं बच्चे एनिमिया एवं कुपोषण से ग्रसित है। 2015 की भारत स्वास्थ्य रिपोर्टः पोषण के अनुसार देश में 5 वर्ष से कम आयु के करीब 38.7 प्रतिशत बच्चे औसत से कम लम्बाई (stunted) के है वहीं 6–59 महीने के बच्चों में से लगभग 69.5 प्रतिशत बच्चे एनिमिया के शिकार हैं तथा 3 साल से कम उम्र के बच्चों में लगभग 18.6 प्रतिशत बच्चों का वज़न जन्म के समय प्रमाणित वज़न से कम पाया गया है। इसके अलावा रिपोर्ट के अनुसार देश 15–49 साल की महिलाओं में से लगभग 55.3 प्रतिशत महिलाऐं एनिमिया से ग्रस्त हैं।

वहीं राजस्थान की बात की जाये तो एनएफएचएस–3 (वर्ष 2005–06) के अनुसार राज्य में करीब 53 प्रतिशत महिलायें एनिमिया से ग्रसित हैं वहीं करीब 37 प्रतिशत बच्चे कुपोषण से ग्रसित हैं। 2015 की भारत स्वास्थ्य रिपोर्ट : पोषण के अनुसार राजस्थान में 5 वर्ष से कम आयु के करीब 36.4 प्रतिशत बच्चे औसत से कम लम्बाई (stunted) के हैं वहीं 6–59 महीने के बच्चों में से लगभग 69.7 प्रतिशत बच्चे एनिमिया के शिकार हैं तथा 3 साल से कम उम्र के बच्चों में लगभग 23.2 प्रतिशत बच्चों का वज़न जन्म के समय प्रमाणित वज़न से कम पाया गया है। इसके अलावा रिपोर्ट के अनुसार देश 15–49 साल की महिलाओं में से लगभग 53.1 प्रतिशत महिलाऐं एनिमिया से ग्रसित हैं। राजस्थान की 2015–16 की आर्थिक समीक्षा के अनुसार राज्य में शिशु मृत्यु दर 47 (प्रति हजार जीवित जन्म) है जो राष्ट्रीय औसत (40) से 7 अंक अधिक है। अतः इससे स्पष्ट होता है कि राज्य में स्वास्थ्य एवं पोषण की स्थिति बेहद खराब है। हालांकि स्वास्थ्य एवं पोषण में सुधार हेतु केन्द्र एवं राज्य सरकार द्वारा विभिन्न योजनाओं एवं कार्यक्रमों के जरीये प्रयास किये जा रहे हैं लेकिन इन योजनाओं एवं कार्यक्रमों के क्रियांवयन में बजट की महत्त्वपूर्ण भूमिका रहती है।

चिकित्सा, लोक स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण

वित्तीय वर्ष 2016–17 में राजस्थान का कुल बजट 171260.99 करोड़ रूपये है जिसमें से लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण के लिए कुल 9537.40 करोड़ रूपये आवंटित किये गए हैं, जो कुल राज्य बजट का 5.57 प्रतिशत है जो पिछले वर्ष की तुलना में 1.3 प्रतिशत कम है।

नीचे दी गयी तालिका स्वास्थ्य और परिवार कल्याण में की गई कुल आवंटित राशि को दर्शाता है। तालिका के अनुसार वित्तीय वर्ष 2015–16 के बजट अनुमान में 9416.27 करोड़ रूपये आवंटित किये गए थे जो संशोधित बजट में घटकर 8241.40 रह गए। इससे यह पता चलता है कि जितनी राशि आवंटित हो रही है सरकार उतना खर्च नहीं कर रही। इसके अलावा वित्तीय वर्ष 2016–17 के बजट अनुमान में 2015–16 के संशोधित बजट की तुलना में 15.73 प्रतिशत की बढ़ोतरी की गयी है। वर्ष 2016–17 राज्य सरकार की कुल अनुमानित बजट राशि में वर्ष 2014–15 और 2015–16 की अनुमानित बजट राशि की

तुलना में ज्यादा बदलाव नहीं किया गया है। हालांकि चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य के आयोजना बजट में 2015–16 की तुलना में लगभग 450 करोड़ रू की बढ़ोतरी की गयी है।

तालिका : स्वास्थ्य और परिवार कल्याण का बजट विवरण (राशि करोड़ रू में)

		चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य			परिवार कल्याण			महा योग
		राजस्व	पूंजीगत	योग	राजस्व	पूंजीगत	योग	
2014–15 बजट अनुमान	आयोजना भिन्न	3101.65	28.15	3129.77	0.00	0.00	0.00	**3129.771**
	आयोजना	1548.57	2951.25	4499.81	1073.78	0.00	1073.78	**5573.588**
	योग	**4620.19**	**2979.39**	**7629.58**	**1073.78**	**0.00**	**1073.78**	**8703.359**
2014–15 वास्तविक	आयोजना भिन्न	2982.83	22.80	3005.63	0.00	0.00	0.00	**3005.63**
	आयोजना	971.15	1996.60	2967.75	484.32	0.00	484.32	**3452.07**
	योग	**3953.99**	**2019.4**	**5973.39**	**484.32**		**484.32**	**6457.71**
2015–16 बजट अनुमान	आयोजना भिन्न	3325.23	27.32	3352.55	0.00	0.00	0.00	**3352.55**
	आयोजना	1995.44	2999.59	4995.03	1068.69	0.00	1068.69	**6063.72**
	योग	**5320.67**	**3026.91**	**8347.58**	**1068.69**	**0.00**	**1068.69**	**9416.27**
2015–16 संशोधित अनुमान	आयोजना भिन्न	3240.63	24.63	3265.275	0.00	0.00	0.00	**3265.275**
	आयोजना	1715.01	2527.592	4242.6	733.51	0.00	733.51	**4976.11**
	योग	**4955.656**	**2552.22**	**7507.88**	**733.51**	**0.00**	**733.51**	**8241.39**
2016–17 बजट अनुमान	आयोजना भिन्न	3464.3	26.94	3491.25		0.00		**3491.25**
	आयोजना	2236.4	2547.95	4784.35	1261.78	0.00	1261.78	**6046.13**
	योग	**5700.7**	**2574.9**	**8275.61**	**1261.78**	**0.00**	**1261.78**	**9537.39**

स्त्रोतः राज्य बजट पुस्तिका राजस्थान सरकार

राज्य बजट में चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण का हिस्सा

नीचे दी गयी तालिका के अनुसार वर्ष 2014–15 में राज्य के कुल अनुमानित बजट का 6.62 प्रतिशत और 2015–16 में राज्य के कुल अनुमानित बजट का 6.84 प्रतिशत चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण के लिए आवंटित किया गया जो 2014–15 के संशोधित बजट में घटकर 5.90 प्रतिशत, 2014–15 के लेखे में घटकर 5.54 प्रतिशत और 2015–16 के संशोधित बजट में घटकर 5.99 प्रतिशत हो गया। इसके अलावा 2016–17 में राज्य के कुल बजट अनुमान का 5.57 प्रतिशत चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण के लिए आवंटित किया गया है जो पिछले वर्ष की तुलना में लगभग 1.3 प्रतिशत कम है।

नीचे दी गयी तालिका राज्य बजट में चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण का हिस्सा दर्शाती है:

तालिकाः राज्य बजट में चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण का हिस्सा (राशि करोड़ रू. में)

वर्ष	कुल राज्य बजट	चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण पर कुल आवंटन	प्रतिशत
2014–15 बजट अनुमान	131426.9	8703.359	6.62
2014–15 वास्तविक	116605.5	6457.71	5.54
2015–16 बजट अनुमान	137713-38	9416-27	6.84
2015–16 संशोधित अनुमान	137455.8	8241-40	5.99
2016–17 बजट अनुमान	151127.7	9537-39	6.31

स्त्रोतः राज्य बजट पुस्तिका राजस्थान सरकार

शहरी एवं ग्रामिण स्वास्थ्य सेवाओं पर कुल व्यय

नीचे दी गयी तालिका राज्य में शहरी एवं ग्रामिण स्वास्थ्य पर कुल खर्च को दर्शाती है

तालिका : शहरी एवं ग्रामिण स्वास्थ्य सेवाओं पर कुल व्यय (राशि करोड़ रू. में)

संख्या	मद	2014–15 बजट अनुमान	2014–15 वास्तविक	2015–16 बजट अनुमान	2015–16 संशोधित अनुमान	2016–17 बजट अनुमान
1	शहरी स्वास्थ्य सेवाएं – एलोपैथी	1504.90	1390.43	1571.37	1558.34	1649.86
2	शहरी स्वास्थ्य सेवाएं – अन्य	202.34	174.09	203.53	206.76	227.15
3	शहरी स्वास्थ्य सेवाएं – पूंजीगत	196.32	157.55	113.59	51.02	101.17
कुल शहरी		**1903.54**	**1722.08**	**1888.49**	**1816.13**	**1978.17**
4	ग्रामिण स्वास्थ्य सेवाएं – एलोपैथी	1054.19	928.19	1164.69	1035.11	1215.66
5	ग्रामिण स्वास्थ्य सेवाएं – अन्य	386.53	371.32	438.75	465.17	462.97
6	ग्रामिण स्वास्थ्य सेवाएं – पूंजीगत	220.97	118.39	306.8	201.09	313.36
कुल ग्रामिण		**1661.69**	**1417.90**	**1910.24**	**1701.36**	**1991.99**

स्त्रोतः राज्य बजट पुस्तिका राजस्थान सरकार

2015–16 में शहरी स्वास्थ्य पर आंवटित कुल राजस्व एवं पूंजीगत बजट 1888.49 करोड़ रूपये था जो 2015–16 के संशोधित बजट में घटकर 1816.13 करोड़ रूपये हो गया। 2015–16 के बजट अनुमान

की तुलना में 2016–17 के बजट अनुमान में लगभग 90 करोड़ रूपये की बढ़ोतरी की गयी है। इसके अलावा 2015–16 के बजट अनुमान में ग्रामिण स्वास्थ्य पर किये जाना वाला कुल राजस्व एवं पूंजीगत व्यय 1910.24 करोड़ रूपये था जो संशोधित बजट में घटकर 1701.36 रूपये रह गया। इससे पता चलता है कि वित्तीय वर्ष 2015–16 में राजस्थान सरकार ग्रामिण क्षेत्र के कुल बजट अनुमान का लगभग 200 करोड़ रूपये खर्च नहीं कर पाई। इसके साथ ही वित्तीय वर्ष 2016–17 में ग्रामिण स्वास्थ्य सुविधाओं पर कुल बजट अनुमान में 1991.99 करोड़ रूपये आवंटित किये गए हैं जो गत वर्ष की तुलना में लगभग 80 करोड़ रूपये ज्यादा है। राजस्थान की लगभग 75 प्रतिशत जनता ग्रामिण क्षेत्रों में रहती है इस हिसाब से देखें तो ग्रामिण क्षेत्रों में प्रति व्यक्ति व्यय शहरी क्षेत्रों में प्रति व्यक्ति व्यय से कम दिखता है।

चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण की मुख्य आयोजनाओं के बजटीय प्रावधान

नीचे दी गई तालिका चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण के अंतगर्त आने वाली मुख्य योजनाओं के बजटीय प्रावधान को दर्शाती है।

तलिका : मुख्य योजनाओं के बजटीय प्रावधान **(राशि करोड़ रू. में)**

आयोजना	2014–15 बजट अनुमान	2014–15 वास्तविक	2015–16 बजट अनुमान	2015–16 संशोधित अनुमान	2016–17 बजट अनुमान
राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन	290.13	75.55	290.13	81.16	117.50
राष्ट्रीय ग्रामिण स्वास्थ्य मिशन	1965.00	1248.48	1810.00	1674.58	1598.61
मुख्यमंत्री निशुल्क दवा योजना	382.96	245.04	367.42	360.99	360.36
मुख्यमंत्री जांच योजना	119.37	71.76	117.18	87.93	105.50
समुदाय आधारित अतिकुपोषित बच्चों का प्रबंध	–	–	–	1.98	0.93

स्त्रोतः राज्य बजट पुस्तिका राजस्थान सरकार

- **राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन :** वित्तीय वर्ष 2014–15 एवं 2015–16 में राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन पर अनुमानित बजट राशि 290.13 करोड़ रूपये थी 2014–15 के लेखे में घट कर सिर्फ 75.55 करोड़ रूपये और 2015–16 का संशोधित बजट घटकर सिर्फ 81.16 करोड़ रूपये रह गयी । इससे सरकार की बजट राशि उपयोग न कर पाने की अक्षमता का ज्ञात होता है। 2016–17 की बजट अनुमान राशि में 2015–16 की बजट अनुमान राशि की तुलना में लगभग 51 प्रतिशत की कमी की गयी है।
- **राष्ट्रीय ग्रामिण स्वास्थ्य मिशन :** राष्ट्रीय ग्रामिण स्वास्थ्य मिशन में 2014–15 के बजट अनुमान में कुल 1965 करोड़ रूपय और 2015–16 के बजट अनुमान में कुल 1810 करोड़ रूपये आवंटित किये गए जो 2014–15 के लेखे में घट कर 1248.48 करोड़ रूपय और 2015–16 संशोधित बजट में घटकर 1674.58 हो गया। इसके अलावा 2016–17 के बजट अनुमान में 2016–17 के बजट अनुमान की तुलना में लगभग 12 प्रतिशत की कमी की गयी है।
- **मुख्यमंत्री निशुल्क दवा योजना :** वित्तीय वर्ष 2014–15 में अनुमानित बजट राशि में 382–96 करोड़ रुपये आवंटित किए गए जिसमे से सिर्फ 245.04 करोड़ रुपये वास्तविक तौर पर खर्च हो पाये। वित्तीय वर्ष 2015–16 की मुख्यमंत्री निशुल्क दवा योजना की अनुमानित बजट राशि में

कुल 367.42 करोड़ रूपये आवंटित किये गए जो 2015–16 की संशोधित बजट में घटकर 360. 99 करोड़ रूपये रह गया। इसके अलावा 2016–17 की बजट अनुमान राशि में 7 करोड़ रूपये की कमी की गयी है। प्रदेश में निशुल्क दवा योजना की जरूरत और लोकप्रियता को देखते हुए यह कमी चिंताजनक है।

- **मुख्यमंत्री जांच योजना :** मुख्यमंत्री जांच योजना में वित्तीय वर्ष 2014–15 में अनुमानित बजट राशि में 119.37 करोड़ रुपये आवंटित किए गए जिसमे से सिर्फ 71.76 करोड़ रुपये वास्तविक तौर पर खर्च हो पाये। वित्तीय वर्ष 2015–16 के कुल बजट अनुमान 117.17 करोड़ रूपये थी जो 2015–16 की संशोधित राशि में घटकर 87.93 करोड़ रूपये रह गयी। 2016–17 की अनुमानित बजट राशि को 2015–16 की अनुमानित बजट राशि की तुलना में लगभग 12 करोड़ रूपये घटाकर 105.50 करोड़ रूपये कर दिया गया है।
- **समुदाय आधारित अतिकुपोषित बच्चों का प्रबंध :** इस वर्ष राज्य में कुपोषण की स्थिति को देखते हुए राज्य सरकार ने एक नयी योजना शुरू की है जिसमें 2015–16 की कुल संशोधित बजट में 1.98 करोड़ रूपये आवंटित किये गए है तथा 2016–17 के बजट अनुमान में मात्र 93 लाख रूपये आवंटित किये गए है।

राजस्थान सरकार का पोषण हेतु बजट

देश के अन्य राज्यों की तरह राजस्थान में भी कुपोषण एक गंभीर समस्या है एवं इसका सर्वाधिक प्रभाव बच्चों एवं महिलाओं पर देखा जा सकता है। हालांकि राज्य में पोषण से संबंधित केन्द्र एवं राज्य सरकार द्वारा विभिन्न योजनायें एवं कार्यक्रम चलाये जा रहे हैं जिनमें समंवित बाल विकास सेवा, मिड डे मील एवं आदिवासी क्षेत्रों में संचालित मां बाड़ी केन्द्र आदि प्रमुख हैं। राज्य में पोषण से जुड़ी मुख्य योजनायें केन्द्र सरकार द्वारा प्रायोजित की जा रही है जिनमें समंवित बाल विकास सेवा मुख्य है जो मुख्यतया केन्द्र सरकार द्वारा पोषित है। जिसके अंतर्गत आंगवाड़ी केन्द्रों के माध्यम से महिलाओं, बच्चों, गर्भवती एवं धात्री महिलाओं को पोषण समाग्री वितरित की जाती है। लेकिन राज्य में बड़ी संख्या में आंगवाड़ी केन्द्रों के पास स्वयं के भवन नहीं हैं एवं ये किराये के भवनों में चल रहे हैं। साथ ही इन केन्द्रों पर विभिन्न सेवाओं एवं सुविधाओं की स्थिति भी बेहद खराब है। इसके अलावा मिड डे मील भी केन्द्र सरकार द्वारा पोषित प्रमुख योजना है जिसके माध्यम से राज्य के विद्यालयों में 8वीं तक के बच्चों को दोपहर का भोजन उपलब्ध करवाया जाता है।

तालिका : राज्य में पोषण हेतु कुल बजट **(राशि करोड़ रु. में)**

मद	2014–15 बजट अनुमान	2014–15 वास्तविक	2015–16 बजट अनुमान	2015–16 संशोधित	2016–17 बजट अनुमान
राजस्व	1678.71	1420.17	1480.90	1444.19	1572.76
पूंजीगत	278.60	9.25	214.78	147.89	94.50
कुल	1957.32	1410.91	1695.68	1592.09	1667.26

स्रोत : बजट पुस्तिका, वित्त विभाग, राजस्थान

उपरोक्त तालिका के अनुसार इस वर्ष 2016–17 हेतु कुल करीब 1667 करोड़ रुपये का बजट आंवटित किया गया है जो गत वर्ष के आंवटित बजट (1695.69 करोड़) से करीब 32 करोड़ रुपये कम है। अतः गत वर्ष के मुकाबले इस वर्ष के बजट में कटौती की गयी है साथ ही गत वर्ष के संशोधित बजट में भी

करीब 102 करोड़ की कमी की गयी है। इसके अलावा उपरोक्त बजट आंकड़ों से स्पष्ट होता है कि राज्य में जितना बजट आवंटित किया जाता है उससे काफी कम राशि व्यय होती है। वर्ष 2014–15 में कुल 1957 करोड़ रु. आवंटित किये गये जबकि 1410 करोड़ रु. ही व्यय हो पाये। अतः राज्य में पोषण संबंधित योजनाओं एवं कार्यक्रमों में बजट व्यय आवंटित की गयी राशि से काफी कम रहता है।

राज्य में पोषण से जुड़े प्रमुख मुद्देः

- राज्य में बड़ी संख्या में महिलायें एवं बच्चे एनिमिया एवं कुपोषण से ग्रसित हैं। राज्य में करीब 53 प्रतिशत महिलायें एनिमिया से ग्रसित हैं वहीं करीब 37 प्रतिशत बच्चे कुपोषण से ग्रसित हैं।
- राज्य में शिशु मृत्यु दर 47 है जो राष्ट्रीय औसत (40) से 7 अंक अधिक है। इसी प्रकार मातृ मृत्यु दर 244 है जो राष्ट्रीय औसत (167) से 77 अंक अधिक है।
- शिशु मृत्यु दर एवं मातृ मृत्यु दर के अधिक होने के पीछे एनिमिया एक प्रमुख कारण है।
- राज्य में बड़ी संख्या में आंगवाड़ी केन्द्रों के पास स्वयं के भवन नहीं हैं एवं ये किराये के भवनों में चल रहे हैं। साथ ही इन केन्द्रो पर विभिन्न सुविधाओं एवं सेवाओं की स्थिति भी बेहद खराब है।

वर्तमान में राजस्थान सरकार कुल बजट राशि का मात्र 4–5 प्रतिशत स्वास्थ्य पर खर्च करती है, यह राशि राज्य की स्वास्थ्य संबंधित ज़रूरतों को देखते हुए बहुत कम है। राजस्थान में स्वास्थ्य एवं पोषण की स्थिति को देखते हुए, यह जरूरी है कि राज्य सरकार इन मदों में आवंटित बजट का उपयोग सही तरीके से करे। विभन्न स्वास्थ्य केन्द्रों में स्वास्थ्य कर्मियों की कमी को पुरा करने के लिए रिक्त पदों की भर्ति की जाये तथा कर्मचारियों को जिम्मेदार बनाया जाये। स्वास्थ्य एवं पोषण में गहरा संबंध है। स्वास्थ्य से जुड़ी ईकाईयों में सुधार के लिए यह आवश्यक है कि पोषण से जुड़ी योजनाओं का क्रियान्वयन ठीक तरह से किया जाए तथा उनके बजट में बढ़ोतरी हो। पिछले वर्षों कि तुलना में पोषण के लिए आवंटित बजट में काफी गिरावट आई है जिसका सीधा असर सवास्थ्य से जुड़े सूचकों पर पड़ सकता है। इसलिए यह आवश्यक है कि योजनाओं जैसे, मध्याहन भोजन योजना, समन्वित बाल विकास योजना, राष्ट्रिय स्वास्थ्य मिशन इत्यादि पर अधिक ज़ोर दिया जाए।

राज्य में महिलाओं के लिये बजट तथा जेण्डर बजट का विशलेषण

वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य में 3.2 करोड़ महिलाएं हैं। जिनमें 2.4 करोड महिलाऍ ग्रामीण क्षेत्रों में तथा 81 लाख शहरी क्षेत्रों में निवास कर रही है अर्थात 75 प्रतिशत महिलाऍ ग्रामीण क्षेत्रों में तथा 25 प्रतिशत महिलाएं शहरी क्षेत्रों में निवास कर रही है। राज्सथान में लिंगानुपात वर्ष 2001 की तुलना में 922 से बढ़ कर 927 महिलाएँ प्रति 1000 पुरूष हो गया है परन्तु यह देश के लिंगानुपात की तुलना में कम है।मातृ– मृत्यु दर, कुपोषण, खून की कमी, बिमारी, बाल विवाह, लिंग अनुपात में कमी महिलाओं कि सामाजिक आर्थिक स्थिति आदि महिलाओं से जुड़े ऐसे मुद्दे है जिन पर ध्यान देने तथा शीघ्र सुधार कि आवश्यकता है परन्तु राज्य के बजट प्रावधानों का विश्लेषण करने पर स्पष्ट होता है की राज्य में महिलाओं के कल्याण के लिए राज्य सरकार द्वारा किये जाने वाला व्यय बहुत ही कम है।

राज्य में महिलाओंके कल्याण के लिये महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा कयी कार्यक्रम चलाये जा रहे हैं जिन्में से कुछ कार्यक्रम निम्नलिखित हैं:

मुख्यामंत्री सात सूत्रीय महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम, महिला स्वयं सहायता समूह कार्यक्रम, महिला विकास कार्यक्रम, स्वावलम्बन योजना, समूहिक विवाह हेतु अनुदान, राज्य महिला आयोग, जैंडर संवेदनशील बजटिंग, किशोरी शक्ति योजना, घरेलु हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम 2005 आदि।

राज्य में महिलाओं के लिये बजट

राज्य में महिला विकास एवं सशक्तिकरण के उद्देश्य से महिला एवं बाल विकास विभाग केकार्यक्रमोंके लिये बजट में राजस्व व्यय के लिये के मुख्य शीर्ष 2235 (सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण) के उप मुख्य शीर्ष 02 (समाज कल्याण) के अन्दर लघु शीर्ष 103 (महिला कल्याण) तथा लघु शीर्ष 196 (जिला स्तर की पंचायतों को सहायता) की इकाई 02 (महिला अधिकारिता के जिला स्तरिय कार्यालयों हेतु)में प्रवधान रखा जाता है। इसके साथ हीमुख्य शीर्ष 2236 (पोषण) में भी महिला कल्याण के लिये बजट आवंटित किया जाता है। पूंजीगत व्यय के लिये मुख्य शीर्ष 4235 (सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण पर पूंजीगत व्यय) के उप मुख्य शीर्ष 02 (समाज कल्याण) के अन्दर लघु शीर्ष 103 (महिला कल्याण), लघु शीर्ष 789 (अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना) तथा लघु शीर्ष 796(जनजातिय क्षेत्र उपयोजना) एवं मुख्य शीर्ष 4236 (पोषण पर पूंजीगत व्यय) में आवंटित किया जाता है।

वर्ष 2016–17 के लिये राज्य का कुल बजट 171260.99करोड़ रू रखा गया है जिसमें महिलाओं के कल्याण के लिये कुल 1748 करोड़ रूपये आवंटित किए गए जो राज्य के कुल बजट का केवल 1.02 प्रतिशत ही है।वर्ष 2015–16 में आवंटित महिलाओं के कल्याण के लिय राशि राज्य के कुल बजट का1. 2 प्रतिशत थी तथा 2014–15 के बजट में राज्य के कुल खर्च का 1.5 प्रतिशत भाग महिला कल्याण के लिये अनुमानित किया गया था यानी पिछले तीन वर्षों से महिलाओं के कल्याण के लिये किये जाने वाले खर्च घटाया जाता रहा है।

निचे दी गयी सारणी के अनुसार वर्ष 2015– 16 के संशोधित अनुमान में महिला कल्याण के लिये आवंटित राशि में इसी वर्ष के बजट अनुमान की तुलना में 133 करोड़ रू की कमी आयी है।यह कमी मुख्य रूप से पोषण के लिये आवंटित पूँजीगत बजट में 66.9 करोड़ रू कमी होने की वजह से आयी है। जहाँ 2015– 16 के बजट अनुमान में पोषण के लिये 214.8 करोड़ रू पूँजीगत बजट रखा गया था वहीं संशोधित अनुमान में इसे केवल 149.6 करोड़ रू कर दिया गया है।

हालांकी र्वतमान वर्ष के बजट अनुमान में 2015– 16 के संशोधित अनुमान की तुलना में 99 करोड़ रू तथा वर्ष 2014–15 के लेखे से 266 करोड़ रू की वृद्धी हुई है परन्तु 2015– 16 के बजट अनुमान की तुलना में 34 करोड़ रू की कमी आयी है।

तलिका : राज्य में महिला एवं बाल विकास विभाग के लिये बजट (राशि करोड़ में)

मद		राजस्व व्यय				पूँजीगत व्यय					
		2235 –02– 103	2235 –02– 196– (02)	2236	योग	4235 –02– 103	4235 – 789	4235 – 796	4236	योग	महायोग
2014-15 वास्तविक	आयोजना भिन्न	**5.8**	**6.38**	88.8	**101**	..	..	..	..		**101**
	आयोजना	**9.5**	**28.19**	1331	**1369**	15.83	3.14	2.44	-9.2	**12.1**	**1381**
	योग	**15.3**	**34.5**	1420	**1470**	15.83	3.14	2.44	-9.2	**12.1**	**1482**
	केन्द्रीय सहायता	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
2015-16 बजट अनुमान	आयोजना भिन्न	**6.098**	**7.882**	97.69	**111.7**	..	..	..	..	**0**	**111.7**
	आयोजना	**22.42**	**34.39**	1383	**1440**	11.75	2.14	1.55	214.8	**230.2**	**1670**
	योग	**28.5**	**42.2**	**1481**	**1552**	**11.75**	**2.14**	**1.55**	**214.8**	**230.2**	**1782**
	केन्द्रीय सहायता	**3.181**	**5.036**	436.9	**445.2**	2.428	0.64	0.5	78.9	**82.4**	**527.6**
2015-16 संशोधित अनुमान	आयोजना भिन्न	5.17	6.8	95.07	**107**	..	..	..	..		**107**
	आयोजना	7.44	35.73	1349	**1392**	1.67	0	0	147.9	**149.6**	**1542**
	योग	12.6	42.53	1444	**1499**	1.67	0	0	147.9	**149.6**	**1649**
	केन्द्रीय सहायता	0.4	6.7	659.6	**666.7**	0	0	0	92.6	**92.6**	**759.4**
2016-17 बजट अनुमान	आयोजना भिन्न	5.3	7.5	97.26	**110.1**	..	..	..	..		**110.1**
	आयोजना	24.29	40.16	1476	**1540**	2.95	0	0	94.5	**97.4**	**1637**
	योग	29.6	47.75	1573	**1650**	2.95	0	0	94.5	**97.4**	**1748**
	केन्द्रीय सहायता	6.09	10.04	727.5	**743.7**	0	0	0	35.7	**35.7**	**779.4**

स्रोत– बजट पुस्तकों के आधार पर

राजस्थान में जेण्डर बजट

राजस्थान सरकार ने 2006–07 में पहली बार, राजस्व विभाग सहित, अपने 6 विभागों का जेण्डर बजट विश्लेषण किया जिसके प्श्चात 2007–08 में भी 8 विभागों का जेण्डर बजट विश्लेषण किया गया। वर्ष 2009 में महिला एवं विकास विभाग में जेण्डर बजट सेल की स्थापना की गयी तथा 2010 में मुख्य सचिव के नेतृत्व में उच्च स्तरीय समिति बनाई गयी। अगस्त 2011 में जारी किये गये बजट सर्कुलर में पहली बार जेण्डर बजट को लागू करने की बात की गयी। अगले वर्ष राजस्थान बजट 2012–13 में जेण्डर बजट विवरण जारी किया गया, जिसमें सरकारी कार्यक्रमों को महिला लाभार्थीयों के प्रतिशत के अनुसार निम्न दी गयी सारणी में दर्शायी गयी श्रेणियाँ प्रदान की गई।

तालिका : राज्य केजेण्डर बजट विवरण में सरकारी कार्यक्रमों को दिये जाने वाली श्रेणियाँ

श्रेणी	महिला लाभार्थीयों का प्रतिशत
A	<70%
B	70-30%
C	30-10%
D	<10%

स्रोत– बजट पुस्तकों के आधार पर

परन्तु सारणी 2 में दर्शायी श्रेणियाँ कार्यक्रमों/योजनाओं को नहीं दे कर कार्यक्रमों/योजनाओं के गैर योजना, योजना तथा केंद्र प्रवर्तित योजना को अलग अलग दिया जाता है।

राज्य का जेण्डर बजटका विश्लेषण

विधान सभ में पेश किये गये बजट के जेण्डर घटक में बीते वर्ष के जेण्डर बजट की ही तरह फिर से बजट फाइनलिजेशन कोमिटी (बी.एफ.सी) वार सूचना दी गयी है। जेण्डर बजट विवरण का विशलेषण करने पर ज्ञात होता है कि 2016–17 में राज्य के कुल बजट में योजना खर्च के जेण्डर घटक में वर्ष 2015–16 की तुलना मेंलगभग 0.28% की कमी हुयी है तथा गैर योजनागत खर्च के जेण्डर घटक में भी 1.01% की कमी हुयी है।

आगामी वर्ष के दौरान महिलाओं के कल्याण के लिये निश्चित की गयी योजनाओं एवं उनपर किये जाने वाले खर्च के बारे में इस बजट से कुछ निशचित रूप से नहीं कहा जा सकता है। जैसा कि शुरू में जिक्र किया गया है जेण्डर बजट में सूचना ना तो मुख्य शीर्षवार दी गयी है ना ही विभागवार बल्कि बी. एफ.सी वार दी गयी है जिस कारण योजनाओं/कार्यक्रमों को भी कोई एक श्रेणी नहीं दी गयी है तथा उनके गैर योजना खर्च, योजना खर्च व केन्द्र प्रायोजित योजना खर्च में दी जाती है। अतः किसी योजना/कार्यक्रम के बारे में भी कुछ निशचित रूप से नहीं कहा जा सकता।

तालिका : राज्य के कुल बजट में जेण्डर घटक का प्रतिशत (%)

वर्ष	गैर योजना खर्च	योजना खर्च	केन्द्र प्रायोजित योजना खर्च
2012–13	19.14	32.97	50.82
2013–14	19.94	35.24	54.33
2014–15	18.62	38.99	46.18
2015–16	19.68	42.46	–
2016–17	18.67	42.18	–

स्रोतः बजट पुस्तकों के आधार पर

तालिका : जेण्डर बजट विवरण के अनुसार योजनाओं/कार्यक्रमों का वर्गीकरण

व्यय मद		गैर योजना भिन्न	प्रतिशत (%)	योजना	प्रतिशत (%)	केंद्र प्रवर्तित योजना	प्रतिशत (%)
A	**2014–15**	22	6.26	72	9.93	19	17.27
	2015–16	23	6.74	86	11.57		
	2016–17	**22**	**6.02**	**94**	**13.66**		
B	**2014–15**	185	52.7	453	62.48	39	35.45
	2015–16	164	48.09	430	57.8		
	2016–17	**195**	**53.42**	**491**	**71.36**		
C	**2014–15**	107	30.48	162	22.34	27	24.54
	2015–16	95	27.8	193	25.9		
	2016–17	**99**	**27.12**	**66**	**9.5**		
D	**2014–15**	37	10.54	38	5.24	25	22.72
	2015–16	59	17.3	34	4.57		
	2016–17	**49**	**13.42**	**37**	**5.3**		
कुल	**2014–15**	351	100	725	100	110	100
	2015–16	**341**	**100**	**743**	**100**		
	2016–17	**365**	**100**	**688**	**100**		

स्रोत– बजट पुस्तकों के आधार पर

जेण्डर बजट विवरण के अनुसार जेण्डर बजट के योजना खर्च में 'ए' एवं 'बी' श्रेणी की योजनाओं/कार्यक्रमों में पिछले वर्ष की तुलना में तकरीबन 2% कीतथा 13%तक की वृद्धि हुई है जबकी 'सी' श्रेणी की योजनाओं/कार्यक्रमों में पिछले वर्ष की तुलना में तकरीबन 16.4% तक कमी आयी है एवं 'डी' श्रेणी की योजनाओं/कार्यक्रमों लगभग पिछले वर्ष के बराबर हैं। गैर योजना खर्च खर्च में 'ए' श्रेणी की योजनाओं/कार्यक्रमों में की मामूली सी कमीहुयी है जबकि बी एवं सी श्रेणी की योजनाओं/कार्यक्रमों में लगभग वृद्धि हुयी है।'डी' श्रेणी की योजनाओं/कार्यक्रमों में लगभग 4% की कमि हुयी है।

जेण्डर बजट विवरण की कुछ समस्याएँ

- जेण्डर बजट में सूचना ना तो मुख्य शीर्षवार दी गयी है ना ही विभागवार बल्कि बजट फाइनलिजेशन कोमिटी (BFC) वार सूचना दी गयी है। सरकार के बाहर किसी को यह पता नहीं होता कि किस विभाग में कितनी BFCs हैं, इसलिए किसी विभाग के बारे में कुछ निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता है।
- योजनाओं/कार्यक्रमों को कोई एक श्रेणी नहीं दी गयी है, अतः किसी योजना/कार्यक्रम के बारे में भी कुछ निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता।

- योजनाओं/कार्यक्रमों को श्रेणी लाभान्वित्तों में महिलाओं के अनुपात के आधार पर दिया गया है, परंतु विभागों के पास लिंग वार आंकड़े उपलब्ध नहीं है।
- पिछले वर्ष के जेण्डर बजट की वास्तविक स्थिति का विवरण उपलब्ध नहीं होता है।
- यह स्पष्ट नहीं है की किन मामलों में स्त्री एवं पुरूष लाभार्थियों के लिए ऑकड़े उपलब्ध हैं तथा किन मामलों में यह अनुमान आधारित है।

राज्य में बच्चों की स्थिति एवं बजट

भारत में करीब 47.2 करोड़ आबादी 0 से 18 वर्ष तक की आयु वर्ग के बच्चों की है, जो देश की कुल आबादी का करीब 39 प्रतिशत है। लेकिन देश में सामाजिक एवं आर्थिक पैमाने पर बच्चों की स्थिति काफी खराब है, चाहे वो अधिकार एवं विकास की दृष्टि से हो या सुरक्षा एवं संरक्षण के लिहाज से। हालांकि बच्चों के अधिकारों के संरक्षण हेतु 1989 के संयुक्त राष्ट्र बाल अधिकार संधिपत्र पर हस्ताक्षर करने वाले विश्व के करीब 193 देशों में भारत भी शामिल है, लेकिन देश में आज भी एक तरफ बड़े पैमाने पर बच्चे बाल मजदूरी, बच्चों की तस्करी एवं विभिन्न प्रकार के शोषण के शिकार हैं और दुसरी ओर बड़ी संख्या में बच्चे कुपोषण एवं खराब स्वास्थ्य से ग्रसित हैं। भारत सरकार ने वर्ष 2013 में बच्चों के अधिकारों एवं संरक्षण को सुनिश्चित करने हेतु नई "राष्ट्रीय बाल नीति 2013" अपनाई। हालांकि यह नीति बच्चों को राष्ट्रीय संपदा मानकर इनके अधिकारों पर ज़ोर देती है लेकिन देश में केन्द्रीय एवं राज्य बजट का आंकलन किया जाये तो इनके विकास एवं संरक्षण हेतु पर्याप्त आवंटन नहीं किया जाता है।

राजस्थान में भी करीब 2.99 करोड़ जनसंख्या (जनगणना 2011) 18 वर्ष से कम आयु वर्ग की है जो राज्य की कुल आबादी का करीब 39 प्रतिशत है। वहीं अगर 0–6 आयुवर्ग के बच्चों की बात की जाये तो 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य की कुल आबादी में करीब 15.5 प्रतिशत इस आयु वर्ग की है। राज्य में बच्चों की स्थिति काफी कमज़ोर है एवं राजस्थान की बालिका नीति–2013 के अनुसार राज्य में करीब 12.62 लाख (जनगणना 2001) बाल श्रमिक हैं जिसमें भी करीब 7 लाख बालिकायें हैं। राज्य में करीब 22 प्रतिशत लड़कियों की शादी वैधानिक उम्र से पूर्व हो जाती है। इसी प्रकार बच्चों में स्वास्थ्य एवं पोषण की स्थितियां भी राज्य में बेहद खराब है। राज्य में बच्चों को केन्द्रीत करते हुये केन्द्र एवं राज्य सरकार द्वारा विभिन्न विभागों के माध्यम से कार्यक्रम एवं योजनाएं चलाये जा रहे हैं जो मुख्य रुप से बच्चों की शिक्षा, संरक्षण, स्वास्थ्य, बाल विकास एवं पोषण से संबंधित हैं। प्रस्तुत नोट में राज्य में बच्चों की स्थिति एवं बजट का विवरण प्रस्तुत किया गया है।

राज्य में बाल केन्द्रीत बजट एवं व्यय : राज्य में बाल केन्द्रीत बजट एवं व्यय का आंकलन करने के लिये विभिन्न विभागों में बाल केन्द्रीत योजनाओं एवं कार्यक्रमों के बजट को प्राक्कलित किया गया है। जिसको मुख्य रुप से चार क्षेत्रों शिक्षा, बाल संरक्षण, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, बाल विकास एवं पोषण आदि में विभक्त किया गया है। राज्य में बाल केन्द्रीत बजट एवं व्यय का विवरण निम्न तालिका में प्रस्तुत किया गया है।

राज्य में मोटे तौर पर बाल केन्द्रीत कार्यक्रमों पर कुल बजट की तकरीबन 18 से 20 प्रतिशत राशि व्यय की जाती है, पर विभिन्न वर्षों में इसमें उतार चढ़ाव देखा जा सकता है।

तालिका : राज्य में बाल केन्द्रीत बजट एवं व्यय का विवरण (राशि करोड़ रू. में)

मद/वर्ष	2014–15 वास्तविक	2015–16 बजट अनुमान	2015–16 संशोधित	2016–17 बजट अनुमान
शिक्षा	18614.06	22919.56	21509.39	24537.18
बाल संरक्षण	184.94	204.35	190.52	200.10
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	2037.63	3047.80	2573.166	2595.933
विकास एवं पोषण	1977.81	2355.14	2275.51	2376.53
कुल बाल केन्द्रीत बजट	22814.44	28526.84	26548.54	29709.75
कुल राज्य बजट	116605.48	137713.39	137455.8	151127.7
राज्य बजट में बाल बजट का प्रतिशत	19.57%	20.71%	19.31%	19.66%

स्रोतः बजट पुस्तिका, वित्त विभाग, राजस्थान सरकार, विभिन्न वर्ष

उपरोक्त तालिका द्वारा ये देखा जा सकता है कि प्रत्येक वर्ष राज्य बजट का करीबन 19–20 प्रतिशत भाग बच्चों के विकास के ऊपर आवंटित किया जाता है। 2015–16 की तुलना में 2016–17 में बाल शिक्षा में रु 1617.62 करोड़ की और विकास एवं पोषण में रु 21.39 करोड़ की बढ़ोतरी हुई है। दूसरी ओर बाल संरक्षण को 4.25 करोड़ रू और स्वास्थय एवं परिवार कल्याण को 451.867 करोड़ रु की राशि से कम कर दिया गया है। कूल राज्य बजट में बाल बजट का प्रतिशत 2016–17 आवंटित बजट के मुकाबले 1.05 प्रतिशत घाट गया है जो चिंताजनक बात है।

2015–16 के कुल बाल बजट के आवंटित बजट की तुलना में 2015–16 के संशोधित बजट में 197830 करोड़ रु की गिरावट आयी है। समस्त रूप से देखा जाए तो बाल बजट में गिरावट आयी है। तालिका द्वारा यह भी देखा जा सकता है की वास्तविक खर्च (2014–15) के अनुमानि एवं संशोधित बजट की मुकाबले कम रहा है, इससे यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है की सरकार बजट को पूर्ण रूप से खर्च नहीं कर पा रही है।

बाल केन्द्रीत बजट का क्षेत्रवार विश्लेषण : जैसा कि पहले यह उल्लेख किया जा चुका है कि बाल बजट का आंकलन करने के लिये राज्य में बाल केन्द्रीत योजनाओं एवं कार्यक्रमों को चार क्षेत्रों में बांटा गया है। राज्य में बाल बजट का क्षेत्रवार विश्लेषण किया जाये तो सर्वाधिक आवंटन एवं व्यय (करीब 80 प्रतिशत) शिक्षा पर किया जाता है। जबकि बाल संरक्षण पर 1 प्रतिशत से भी कम राशि आवंटित की जाती है जबकि स्वास्थ (परिवार कल्याण सहित) 5 से 7 प्रतिशत तथा शेष बाल विकास एवं पोषण पर आवंटन किया जाता है। अतः बाल केन्द्रीत बजट की अधिकांश राशि शिक्षा एवं संबंधित मदों पर व्यय की जाती है।

इससे स्पष्ट होता है कि राज्य के कुल बाल बजट में बाल संरक्षण एवं स्वास्थ्य संबंधी योजनाओं पर बजट आवंटन तुलनात्मक रुप से बहुत ही कम है। अतः बच्चों के स्वास्थ्य एवं सरक्षण संबंधी योजनाओं के बेहतर क्रियांवयन एवं इनको मज़बूत करने हेतु बजट आवंटन बढ़ाने की आवश्यकता है।

राज्य में बच्चों से संबंधित प्रमख मुद्देः

- राज्य में करीब 12.62 लाख बाल श्रमिक है जिसमें भी करीब 7 लाख बालिकायें हैं। जबकि बाल श्रमिकों के कल्याण हेतु बजट नहीं के बराबर है।
- राज्य में बड़ी संख्या में बच्चे कुपोषण एवं खराब स्वास्थ्य से ग्रसित हैं। राज्य में करीब 36.8 प्रतिशत बच्चे कुपोषण से ग्रसित हैं साथ ही शिशु मृत्यु दर भी 55 (1000 जीवित जन्म पर) है जो राष्ट्रीय औसत से अधिक है।
- राज्य में बाल केन्द्रीत बजट का अधिकांश हिस्सा शिक्षा एवं संबंधित गतिविधियों पर व्यय किया जाता है वहीं स्वास्थ्य क्षेत्र (परिवार कल्याण सहित) पर करीब 5 प्रतिशत राशि व्यय की जाती है।
- यदि स्वास्थ्य क्षेत्र के बजट में से परिवार कल्याण के बजट को हटा दिया जाये तो यह भी 1 प्रतिशत से कम रह जाता है।
- राज्य में बाल संरक्षण संबंधित योजनाओं पर भी बहुत ही कम मात्र 1 प्रतिशत से भी कम राशि आवंटित की जाती है जबकि बाल संरक्षण संबंधित योजनाओं में समंवित बाल संरक्षण योजना, बाल श्रमिक कल्याण एवं समाजिक सुरक्षा तथा कल्याण संबंधी महत्त्वपूर्ण कार्यक्रम शामिल हैं।

राज्य में अनुसूचित जाति एवं जनजाति उपयोजना

भारत में आदिवासियों एवं दलितों के समग्र विकास तथा इनको विकास की मुख्य धारा से जोड़कर अन्य वर्गों एवं क्षेत्रों के समकक्ष लाने हेतु 5वीं पंचवर्षीय योजना के वर्ष 1974–75 में जनजाति उपयोजना एवं वर्ष 1979 में अनुसूचित जाति उपयोजना (जिसको 2007 से पहले विशेष संघटक योजना के नाम से जाना जाता था) की रणनीति अपनाई गई। जिसके अनुसार केन्द्र सरकार एवं प्रत्येक राज्य सरकार को अपने आयोजना बजट का आदिवासी एवं दलित आबादी के अनुपात में क्रमशः जनजाति उपयोजना एवं अनुसूचित जाति उपयोजना के तहत आवंटित कर इन वर्गों के विकास हेतु व्यय करना चाहिये। चुंकि राज्य की कुल आबादी में दलित एवं आदिवासियों का प्रतिशत, 2001 जनगणना के अनुसार क्रमशः 17.1 एवं 12.5 प्रतिशत है। हालांकि 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य की आबादी में दलित एवं आदिवासियों का प्रतिशत बढकर क्रमशः 17.8 एवं 13.5 प्रतिशत हो गया है। अतः राज्य सरकार को अपने आयोजना बजट का कम से कम इनकी आबादी के अनुपात आवंटित करना चाहिये।

उपयोजनाओं के लागू होने के 30 वर्षों से अधिक समय बीत जाने के बावजूद भी दोनों उपयोजनाओं में मानदंड से बहुत ही कम राशि आवंटित एवं व्यय की जा रही है तथा यह स्थिति केन्द्र एवं देश के करीब सभी राज्यों में देखी जा सकती है। अतः देश में विगत 2–3 वर्षों से इन उपयोजनाओं के लिये कानून बनाने की मांग की जा रही है। इसी कड़ी में गत वर्ष आंध्र प्रदेश सरकार ने अनुसूचित जाति एवं जनजाति उपयोजना के लिये कानून बनाया है। इसी प्रकार राज्य की पूर्व सरकार द्वारा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति उपयोजना विधेयक 2013 का मसौदा तैयार किया गया। लेकिन राज्य की नयी सरकार इस मसौदे को कानून रुप देने हेतु अभी तक कोई कदम नहीं उठा रही है।

अगले वित्तीय वर्ष से बजट में आयोजना, गैर आयोजना वर्गीकरण की समाप्ति की घोषणाः उपयोजनाओं का भविष्य अधर में!

इस वर्ष केन्द्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली ने अपने बजट भाषण में अगले वित्तीय वर्ष (2017–18) से बजट के आयोजना, गैर आयोजना वर्गीकरण को समाप्त करने की घोषणा की है। परंतु उन्होंने अपने बजट भाषण में यह नहीं बताया कि इस वर्गीकरण की समाप्ति से दलितों एवं आदिवासियों हेतु संचालित उपयोजनाओं का क्या होगा। गौरतलब है कि इन उपयोजनाओं का आधार आयोजना बजट है एवं सरकारों को अपने आयोजना बजट की आदिवासी एवं दलित आबादी के अनुपात में इन उपयोजनाओं के तहत राशि आवंटित करना होता है। ऐसे में जब अगले वित्तीय वर्ष से बजट में आयोजना, गैर आयोजना वर्गीकरण ही समाप्त हो जायेगा तो उपयोजनाओं का भविष्य क्या होगा। अतः सबसे बड़ा सवाल यह है कि अगले वर्ष से उपयोजनाओं के क्रियांवयन हेतु बजट आवंटन एवं खर्च कैसे एवं किस आधार पर होगा। ऐसे में केन्द्र तथा राज्य सरकारों को बड़े स्तर पर विमर्श तथा चर्चा के आधार पर दलित तथा आदिवासी समुदायों के विकास एवं सशक्तिकरण के लिये रणनीति तैयार करनी चाहिये।

उपयोजनाओं हेतु बजट आवंटन की स्थितिः

प्रस्तुत नोट में राज्य बजट में अनुसूचित जाति एवं जनजाति की स्थिति का विवरण प्रस्तुत किया गया है। राज्य में अनुसूचित जाति एवं जनजाति उपयोजना के अंतर्गत गत 4–5 वर्षों में हुए आवंटन एवं व्यय को निम्न तालिका में दर्शाया गया है।

राज्य बजट में अनुसूचित जाति एवं जनजाति उपयोजनाओं की स्थिति (राशि करोड़ रु. में)

वित्तिय वर्ष	राज्य का कुल आयोजना व्यय	अनुसूचित जाति उपयोजना बजट	जनजाति उपयोजना बजट
2012–13 वास्तविक	27159.27	2232.49 (8.22)	1826.59 (6.73)
2013–14 बजट अनुमान	31516.27	3091.27 (9.8)	2770.39 (8.8)
2013–14 संशोधित	35068.00	3431.61 (9.8)	2959.52 (8.44)
2013–14 वास्तविक	29109.65	2887.92 (9.92)	2650.45 (9.11)
2014–15 बजट अनुमान	57115.26	4814.65 (8.43)	4150.45 (7.27)
2014–15 संशोधित	51511.92	4860.17 (9.44)	4420.92 (8.58)
2014–15 वास्तविक	44176.87	3887.15 (8.8)	3302.64 (7.48)
2015–16 बजट अनुमान	57322.77	5545.78 (9.67)	4626.75 (8.07)
2015–16 संशोधित	56288.89	5884.94 (10.45)	5434.18 (9.65)
2016–17 बजट अनुमान	67339.97	6476.60 (9.62)	7314.94 (10.86)

स्रोत : बजट पुस्तिका, वित्त विभाग के आंकड़ों के आधार पर

नोट : ( ) कोष्टक में राज्य के कुल योजनागत बजट में अनुसूचित जाति एवं जनजाति उपयोजना के बजट का प्रतिशत दर्शाया गया है।

उपरोक्त तालिका के अनुसार इस वर्ष 2016–17 के अनुमानित बजट में अनुसूचित जाति उपयोजना हेतु सभी विभागों में कुल करीब 6476.6 करोड़ रु. आवंटित किये हैं, जो राज्य के आयोजना बजट (उदय के अलावा) का करीब 9.62 प्रतिशत है। इसी प्रकार अनुसार जनजाति उपयोजना हेतु सभी विभागों में कुल लगभग 7314.94 करोड़ रु. प्रस्तावित किये हैं, जो राज्य के आयोजना बजट (उदय के अलावा) का करीब 10.8 प्रतिशत है। गत वर्ष (2015–16) के संशोधित बजट में भी अनुसूचित जाति उपयोजना हेतु सभी विभागों में कुल बजट करीब 5884.94 करोड़ रु. हैं, जो राज्य के आयोजना बजट (उदय के अलावा) का करीब 10.45 प्रतिशत है। इसी प्रकार जनजाति उपयोजना हेतु सभी विभागों में कुल बजट लगभग 5434.18 करोड़ रु. हैं, जो राज्य के आयोजना बजट (उदय के अलावा) का करीब 9.65 प्रतिशत है।

विगत 7–8 वर्षों के आंकड़ों पर अगर गोर किया जाये तो वर्ष 2009–10 से 2013–14 तक दोनों उपयोजनाओं के आवंटन में लगातार बढ़ोतरी देखी जा सकती है। लेकिन 2014–15 के लिये पेश किये गये बजट अनुमान में दोनों उपयोजनाओं में आवंटित बजट के अनुपात में बहुत कमी की गयी थी एवं वास्तविक बजट में भी कोई विशेष बढ़ोतरी नहीं हुई। इस वर्ष 2016–17 के बजट अनुमान एवं 2015–16 के संशोधित अनुमान में राज्य के योजनागत बजट (उदय के अलावा) की तुलना में दोनों उपयोजनाओं के अनुपात में विगत वर्षों की तुलना में बढोतरी हुयी है। फिर भी राज्य में उपयोजनाओं का आवंटन अभी भी मानदंड की तुलना में काफी कम है। फलतः राज्य के दलित एवं आदिवासी करोड़ों रु. की विकास योजनाओं से वंचित होंगें।

राज्य में उपयोजनाओं के व्यवस्थित क्रियांवयन हेतु राज्य की पूर्व सरकार ने इनको कानूनी रुप देने हेतु अनुसूचित जाति एवं जनजाति उपयोजना विधेयक 2013 का मसौदा तैयार किया था। लेकिन अभी तक राज्य में उपयोजनाओं को कानूनी रुप देने हेतु तैयार किये गये मसौदे पर सरकार द्वारा कोई कदम नहीं उठाया जा रहा है। अतः सरकार को राज्य में अनुसूचित जाति एवं जनजाति उपयोजना के बेहतर क्रियांवयन तथा बजट आवंटन एवं व्यय को इनकी आबादी के अनुपात में सुनिश्चित करने हेतु इन उपयोजनाओं के संबंध में निर्मित मसौदा विधेयक को उपयुक्त सुधारों के साथ शिघ्र ही कानूनी रुप देने हेतु कदम उठाने चाहिये। साथ ही सरकार को स्पष्ट करना चाहिये कि जब अगले वर्ष से बजट का आयोजना, गैर आयोजना वर्गीकरण ही समाप्त हो जायेगा तो इनके क्रियांवयन हेतु बजट आवंटन एवं खर्च का आधार क्या होगा। ऐसे में केन्द्र एवं राज्य सरकार के साथ आमजन एवं स्वयं सेवी संस्थाओं को इस मुद्दे पर गंभीरता से विमर्श करना चाहिये।

राजस्थान में अल्पसंख्यक विकास के कार्यक्रम एवं बजट

भारत एक बहु–जातीय, बहु–सांस्कृतिक, बहु–भाषीय एवं बहु–धार्मिक देश है। हज़ारों सालों से यहाँ विभिन्न धर्मों के लोग एक साथ रह रहे हैं। जनगणना 2011 के अनुसार भारत की कुल आबादी के लगभग 80 प्रतिशत लोग हिन्दू धर्म से हैं, 14.2 प्रतिशत लोग मुस्लिम और 2.3 प्रतिशत, 1.72 प्रतिशत, 0.7 प्रतिशत एवं 0.37 प्रतिशत लोग क्रमशः इसाई, सिख, बौद्ध, एवं जैन धर्म से हैं। हमारा संविधान अल्पसंख्यक कौन है इसका उल्लेख नहीं करता है। हालाँकि संविधान के अनुच्छेद 29, अनुच्छेद 30, तथा अनुच्छेद 350 में अल्पसख्यक शब्द का इस्तेमाल किया गया है पर इसकी परिभाषा संविधान में नहीं मिलती है। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम 1992 के अनुसार मुस्लिम, इसाई, सिख, बौद्ध, एवं पारसी समुदायों के लोगों को अल्पसंख्यकों की श्रेणी में रखा गया है। बाद में जैन धर्म के लोगों को भी इस श्रेणी में शामिल किया गया। हालाँकि मुस्लिम धर्म के लोगों को भारत में अल्पसंख्यकों की श्रेणी में रखा गया है परन्तु हमारे देश में मुस्लिम धर्म के अनुयाइयों की संख्या हमारे देश को विश्व का दूसरा सबसे मुस्लिम बहुल राष्ट्र बनाता है।

मुस्लिम समुदाय देश के सबसे पिछड़े वर्ग में शामिल है, इनमें बेरोजगारी दर भी बहुत अधिक है। अल्पसंख्यक समुदाय के लोग हिंसा और अभाव से भरा जीवन जीने के लिए मजबूर हैं। अक्सर यह देखा गया है कि अल्पसंख्यकों के अधिकारों का हनन वर्तमान सामाजिक एवं राजनीतिक व्यवस्था के कारण होता रहा है जिसके परिणामस्वरूप अल्पसंख्यकों को सरकारी योजनाओं और उनसे मिलने वाले लाभों से दूर रखा जाता है।

जनगणना 2011 के आंकड़ों के हिसाब से राजस्थान में करीब 11.41 प्रतिशत अल्पसंख्यक हैं, जिनमें से 9.07 प्रतिशत मुस्लिम, 0.14 प्रतिशत इसाई, 1.27 प्रतिशत सिख, 0.02 प्रतिशत बौद्ध तथा 0.91 प्रतिशत लोग जैन धर्म के अनुयायी हैं। पिछले दशक में राज्य में अल्पसंख्यकों की संख्या 1.43 प्रतिशत बढ़ी है।

राजस्थान में अल्पसंख्यकों हेतु योजनायें एवं इनकी पहुंच

भारत सरकार तथा राज्य सरकार विभिन्न मंत्रालयों के माध्यम से अल्पसंख्यकों के लिए अनेक योजनायें चला रही है। उदहारणस्वरुप बहु–क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम, पोस्ट मैट्रिक छात्रवृति, मेरिट कम मीन्स योजना, अनुप्रति योजना, फ्री कोचिंग और अलाइड योजना, अल्पसंख्यक छात्र छात्राओं के लिए निःशुल्क आवासीय छात्रावास की योजना, अल्पसंख्यक युवाओं के लिए कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम की योजना, अल्पसंख्यक महिलाओं हेतु नेतृत्व विकास योजना आदि कल्याणकारी योजनायें अल्पसंख्यकों के विकास एवं उत्थान के लिए चलाई जा रही हैं। राज्य में अल्पसंख्यकों के लिए चलाई जाने वाली ज्यादातर कल्याणकारी योजनायें अल्पसंख्यक विभाग द्वारा चुने गए 16 विकास खण्डों और 16 नगरों में चलायी जा रहीं हैं।

बजट अध्ययन राजस्थान केंद्र द्वारा वर्ष 2014 में शहरी मुस्लिम परिवारों की सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति तथा सरकारी योजनायों तक उनकी पहुँच को समझने के लिए एक अध्ययन किया गया था। इस अध्ययन में इन समुदायों से जुड़े कुछ निराशाजनक तथ्य निकल कर आये। अध्ययन से यह पता चला कि शहरी मुस्लिम समुदाय सामाजिक एवं आर्थिक आंकड़ों में काफी पिछड़े हैं। इनमें शिक्षा का स्तर, बेरोजगारी दर बाकि अल्पसंख्यक समुदायों की तुलना में बहुत निराशाजनक है यहाँ तक कि कामकाजी लोगों के पास भी आय के नियमित स्रोत उपलब्ध नहीं है। इसके अलावा इन परिवारों को शिक्षा, स्वास्थ्य, भोजन इत्यादि से जुड़ी सरकारी योजनाओं का सामायिक लाभ भी नहीं मिल पा रहा है।

सरकारी योजनाओं के सही क्रियान्वयन में सरकारी बजट और उसके खर्च का बहुत योगदान होता है। सही बजट आवंटन एवं इसका सही इस्तेमाल सरकार की मंशा और अल्पसंख्यक समुदायों के मुद्दों के प्रति उनके रुझान को दर्शाता है।

अल्पसंख्यक मामलात विभाग एवं इसका बजट

केंद्र सरकार की तर्ज पर राज्य सरकार द्वारा भी मंत्रिमंडल सचिवालय की अधिसूचना के आधार पर अल्पसंख्यक मामलात विभाग का वर्ष 2009 में गठन किया गया। इस विभाग का गठन अल्पसंख्यकों के लिए कल्याणकारी योजनाओं की निगरानी, उनकी समस्याओं और शिकायतों के समाधान हेतु किया गया।

नीचे दी हुई तालिका में राजस्थान सरकार के पिछले तीन साल के कुल बजट में अल्पसंख्यक विभाग को आवंटित किये गए बजट तथा राज्य के बजट में उसके प्रतिशत को दर्शाया गया है।

तालिका : राज्य में अल्पसंख्यक मामलात विभाग का बजट **(करोड़ रू. में)**

वर्ष	कुल राज्य बजट	अल्पसंख्यक विभाग का बजट	प्रतिशत
2014–15 (बजट अनुमान)	131426.89	115.5	0.08
2014–15 (संशोधित अनुमान)	126111.62	87.53	0.06
2014–15 (वास्तविक व्यय)	116605.48	79.5	0.06
2015–16 (बजट अनुमान)	137713.38	102.17	0.07
2015–16 (संशोधित अनुमान)	180420.42	109.62	0.06
2016–17 (बजट अनुमान)	171260.99	155.47	0.09

स्रोतः बजट पुस्तिका, राजस्थान सरकार

तालिका में दर्शाए हुए आंकड़ों से यह स्पष्ट है कि राजस्थान में अल्पसंख्यक विभाग के लिए आवंटित बजट, कुल बजट का मात्र 0.07 प्रतिशत है और इस विभाग के पास राज्य की लगभग 11.41 प्रतिशत आबादी को देखने की जिम्मेवारी है। इस विभाग की जिम्मेदारियों में निम्नलिखित कार्यक्रम शामिल हैं: (1) प्रधानमंत्री के नये 15 सूत्री कार्यक्रमों का क्रियान्वयन, (2) अल्पसंख्यक समुदाय हेतु मैट्रिक छात्रवृत्ति उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति, मेरिट–कम–मीन्स छात्रवृत्ति, (3) मौलाना आजाद एजुकेशनल फाउंडेशन से सम्बन्धी कार्य, (4) राजस्थान राज्य अल्पसंख्यक आयोग के द्वारा अल्पसंखयकों के विकास की प्रगति का मूल्यांकन व हितों के संरक्षण का कार्य, (5) राजस्थान अल्पसंख्यक वित्त एवं विकास सहकारी निगम लिमिटेड के माध्यम से ऋण का वितरण, (6) अल्पसंख्यक समुदाय के कल्याण सम्बन्धी कार्य, (7) राजस्थान वक्फ सम्पत्तियों सम्बन्धी कार्य, (8) मदरसा शिक्षा गुणवक्तायुक्त कार्य। यह समझना अत्यंत आवश्यक है कि यह बजट इन सब कार्यों के लिए पर्याप्त है या नहीं।

अल्पसंख्यकों हेतु प्रमुख योजनाऐं एवं बजटः

सरकार द्वारा अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों के कल्याण हेतु समय–समय पर विभिन्न प्रयास किये जाते रहे हैं। ऊपर दी गई तालिका में अल्पसंख्यकों के लिए संचालित कुछ सरकारी योजनाओं का पिछले दो सालों का बजट आवंटन दर्शाया गया है। बहु–क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम एक विशेष क्षेत्रीय योजना के रूप में केंद्र सरकार द्वारा लागू किया गया कार्यक्रम है जिसे अल्पसंख्यक बाहुल्य क्षेत्रों में आवश्यक विकास की कमी को दूर करने हेतु प्रारंभ किया गया है। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य अल्पसंख्यक वर्ग से जुड़े लोगों की सामाजिक एवं आर्थिक जीवन की मूलभूत जरूरतों जैसे शिक्षा, स्वच्छता, पक्के मकान, साफ पेयजल, विद्युत आपूर्ति, आय प्राप्ति, तथा संसाधन वृद्धि को पूरा कर इनका जीवन स्तर सुधारना है। अगर हम बहु–क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम के बजट पर नजर डालें तो हमें यह पता चलेगा कि वर्ष 2014–15 के वास्तविक व्यय की तुलना में 2016–17 के बजट अनुमान में लगभग आठ गुना बढ़ोतरी हुई है। इस बजट का कितना हिस्सा लाभार्थियों तक पहुँच पा रहा है यह एक अध्ययन का विषय है।

उत्तर मैट्रिक छात्रवृति का मुख्य उद्देश्य अल्पसंख्यक समुदायों के आर्थिक रूप से कमजोर बच्चों को उच्च शिक्षा में सहयोग देना है। यह छात्रवृति उन छात्रों को दी जाती है जिन्होने पिछली परीक्षा में 50 प्रतिशत से ज्यादा अंक पाए हैं और उनके माता–पिता व अभिभावक की सभी स्रोतों से वार्षिक आय 2 लाख रू. से कम है। इस छात्रवृति में पिछले दो वर्षों में भारी कमी की गयी है। जहाँ 2014–15 में 819. 98 लाख खर्च किये गए थे, वहीं पिछले वर्ष 2015–16 के संशोधित बजट अनुमान में मात्र 25 लाख रू. आवंटित किये गए। इसके अलावा वर्ष 2016–17 के बजट अनुमान में फिर से कटौती की गयी और मात्र 6 हजार रू. आवंटित किये गए। इस योजना की राशि में कटौती काफी निराशाजनक है।

नीचे दी गयी तालिका में राज्य में अल्पसंख्यकों से जुड़ी कुछ योजनाओं के पिछले कुछ वर्षों के बजट आवंटन एवं खर्च को दर्शाया जा रहा है।

तालिका : राजस्थान में अल्पसंख्यकों से जुड़ी योजनायें तथा उनका बजट **(लाख रू. में)**

योजना	2014–15 वास्तविक व्यय	2015–16 बजट अनुमान	2015–16 संशोधित अनुमान	2016–17 बजट अनुमान
बहु–क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम	739.12	1022.74	3470.34	5691.79
उत्तर मैट्रिक छात्रवृति	819.98	25	25	0.06
अनुप्रति योजना	9.9	20	30	30
फ्री कोचिंग और अलाइड योजना	—	1	1	—
निःशुल्क आवासीय छात्रावास योजना	196.21	686.02	453.05	604.48
मदरसा विद्यालयों के लिए बजट	4582.73	6331.7	4280	6630.25
अल्पसंख्यक क्षेत्रों में आई.टी. आई (ITI)	—	9	9	202.52

स्रोतः बजट पुस्तिका, राजस्थान सरकार

इसके अलावा वित्तीय वर्ष 2011 में अनुप्रति योजना शुरू की गयी। इस योजना के अंतर्गत अल्पसंख्यक समुदायों के प्रतिभावान छात्रों को अलग अलग प्रतियोगी परीक्षाओं जैसे प्प्ज, प्प्ड, ।प्प्डै, छप्ज, ब्स्।ज, प्पैब बैंगलोर, भारतीय सिविल सेवा परीक्षा, राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित परीक्षा इत्यादि के लिए प्रोत्साहन राशि दिए जाने का प्रावधान किया गया है। जैसा की ऊपर दी हुई तालिका से स्पष्ट है कि इस योजना के अंतर्गत आवंटित राशि में पिछले दो सालों में तीन गुना बढ़ोतरी हुई है। जहाँ 2014–15 में 9 लाख रू. खर्च किये गए थे वहीं 2016–17 के बजट अनुमान में 30 लाख रू. आवंटित किये गए हैं। परन्तु इसके साथ–साथ सरकार ने फ्री कोचिंग और अलाइड योजना में बिल्कुल भी आवंटन नहीं किया है। फ्री कोचिंग और अलाइड योजना में पिछले वर्ष एक लाख रू. आवंटित किया गया था परन्तु 2016–17 के बजट अनुमान में इसमें एक भी रूपया आवंटित नहीं किया गया है।

सरकार अल्पसंख्यक छात्रों के लिए निःशुल्क आवासीय छात्रावास की योजना भी चला रही है। इस योजना के तहत अल्पसंख्यक समुदायों के कक्षा 9वी से 12वी के छात्रों, महाविद्यलय स्तर के छात्र–छात्राओं एवं प्रतिष्ठित शिक्षण संस्थान में उच्च शिक्षा की कोचिंग हेतु अध्यनरत छात्र–छात्राओं के लिए अल्पसंख्यक छात्रावास स्थापित किये गए हैं जिनको स्वयंसेवी संस्थाओं के माध्यम से संचालित किया जाता है। इस योजना में कुल आवंटित राशि में 2014–15 की वास्तविक व्यय की तुलना में

2016–17 के बजट अनुमान में काफी बढ़ोतरी हुई है। कुल मिलाकर वर्ष 2015–16 के बजट अनुमान की तुलना में इस योजना के अंतर्गत वर्ष 2016–17 के बजट अनुमान में लगभग 12 प्रतिशत की कमी हुई है।
इनके अलावा सरकार राज्य में मदरसों के संचालन एवं अल्पसंख्यक क्षेत्रों में प्ज् के लिए भी बजट आवंटित करती है। वर्ष 2014–15 के वास्तविक खर्च की तुलना में 2016–17 में मदरसों के लिए बजट अनुमान में लगभग 45 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है। इसी प्रकार इस वर्ष सरकार ने अल्पसंख्यक क्षेत्रों में प्ज् के लिए 202.52 लाख रू. आवंटित किये हैं जो पिछले वर्ष के बजट अनुमान में मात्र 9 लाख रू था। इनके अलावा सरकार अल्पसंख्यकों के लिए कुछ और योजनायें भी चला रही है जैसे– अल्पसंख्यक युवाओं के लिए कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम योजना, अल्पसंख्यक महिलाओं हेतु नेतृत्व विकास योजना, मैट्रिक पूर्व छात्रवृति इत्यादि।

सरकारी योजनाओं की घोषणा एवं उनका बजट आवंटन ही पर्याप्त नहीं है। अलग–अलग अध्ययनों से यह बात सामने आई है कि इन समुदायों के लोगों को उनके लिए क्रियान्वित सरकारी योजनाओं की जानकारी नहीं है जिसके कारण वह इन योजनाओं के लाभ से अभी तक वंचित हैं। जरुरी है कि सरल एवं संक्षिप्त आवेदन प्रक्रिया के द्वारा राज्य के इन समुदाय के लोगों को सरकारी योजनाओं के साथ जोड़ा जाये एवं उचित समय पर लोगों को इन योजनाओं का लाभ प्रदान किया जाये ताकि सामाजिक, आर्थिक रूप से पिछड़े समुदायों के जीवन स्तर में गुणात्मक सुधार लाया जा सके।

राज्य में पेंशन योजनाओं हेतु बजट

भारत के संविधान के अनुच्छेद 41 द्वारा राज्य सरकारों को निर्देशित किया गया है कि वे अपने बेसहारा, वृद्धजन, बीमार, विकलांग एवं अन्य अभावग्रस्त नागरिकों के लिए सहायता उपलब्ध कराए। इन सिद्धांतों के अनुसार भारत सरकार ने सहायता उपलब्ध कराने के लिए एक राष्ट्रीय नीति के अंतर्गत वर्ष 1995 में राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (एनएसएपी) आरम्भ किया। इसी प्रकार, राजस्थान में भी सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की ओर से वृद्धजनों, महिलाओं, बच्चों एवं निःशक्तजनों के कल्याण के लिये कई कार्यक्रम चलाये जाते हैं। इनमें पेंशन योजनाओं से जुड़े कार्यक्रम वृद्धजनों, विधवा महिलाओं तथा निःशक्त जनों को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनायें, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा लागू की गयी। पेंशन योजनाओं की राशि राज्य बजट में मुख्य शीर्ष '2235–सामाजिक सुरक्षा व कल्याण' के अंतर्गत आवंटित की जाती है तथा इन योजनाओं का क्रियान्वयन 'सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग' के माध्यम से किया जाता है।

वर्ष 2016–17 के राज्य बजट में वृद्धजनों, विधवा महिलाओं तथा निःशक्त जनों के कल्याण हेतु पेंशन योजनाओं के लिये राज्य सरकार ने कुल 3682.35 करोड़ की राशि प्रस्तावित की है। यह राशि वर्ष 2015–16 के बजट अनुमान में प्रस्तावित राशि से 343.38 करोड़ रू. कम है परन्तु इसी वर्ष के संशोधित बजट से करीब 24 करोड़ रू. ज्यादा है। वर्ष 2015–16 के संशेधित बजट में वृद्धजनों, विधवा महिलाओं तथा निःशक्त जनों के कल्याण हेतु पेंशन योजनाओं के लिये बजट को 368.36 करोड़ रू. से घटा दिया गया है। यह कमी मुख्य रूप से वृद्धजनों के लिये पेंशन योजनाओं में की गयी है।

पिछले चार वर्षों में पेंशन योजनाओं में आवंटित राशि का विवरण निम्न प्रकार हैः

तालिका : पेंशन योजनाओं पर व्यय (राशि करोड़ रु. में)

	2013 14		2014 15		2015 16		2016 17
लेखा शीर्ष	बजट अनुमान	वास्तविक व्यय	बजट अनुमान	वास्तविक व्यय	बजट अनुमान	संशोधित बजट	बजट अनुमान
[01] वृद्धावस्था पेंशन	400	1970.68	2400	2776.9	3000	2740	2740
[05] इंदिरा गांधी वृद्धावस्था पेंशन	130.87	151.41	160.04	136.02	160	119.8	131.7
[08] अनुसूचित जातियों के लिए इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन	44.63	39.26	54.54	36.16	43.7	36.66	40.32
[11] अनुसूचित जनजातियों के लिए इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन	51.21	59.67	76.17	55.3	62.5	54.9	59.5
वृद्धावस्था पेंशन का योग	**626.71**	**2221.02**	**2690.7**	**3004.3**	**3266.2**	**2951.3**	**2971.5**
[03] विधवा पेंशन	220	358.39	400	409.5	450	440	440
[06] इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन	38.26	26.05	28.78	23.8	28.5	23.1	25.42
[09] अनुसूचित जातियों के लिए इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन	11.72	8.85	10.74	8.2	10.88	8.14	8.95
[12] अनुसूचित जनजातियों के लिए इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन	13.12	7.65	11.96	7.4	10.3	7.6	8.36
विधवा पेंशन का योग	**273.1**	**400.94**	**451.48**	**448.9**	**499.68**	**478.84**	**482.73**
[02] मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन सम्मान पेंशन योजना	90	171.25	200	205.5	250	220	220
[07] इंदिरा गांधी राष्ट्रीय निशक्त पेंशन	09	5.73	6.23	4.55	5.75	4.62	5.08
[10] अनुसूचित जातियों के लिए इंदिरा गांधी राष्ट्रीय निशक्त पेंशन	02	1.51	2.63	1.29	2.05	1.3	1.44
[13] अनुसूचित जनजातियों के लिए इंदिरा गांधी राष्ट्रीय निशक्त पेंशन	02	1.29	2.5	1.36	2.05	1.25	1.58
विशेष योग्यजन पेंशन का योग	**103**	**179.80**	**211.36**	**212.7**	**259.85**	**227.17**	**228.1**
योग	**1012.81**	**2801.78**	**3353.59**	**3665.98**	**4025.73**	**3657.37**	**3682.35**

स्रोतः बार्क द्वारा बजट 2013–14, 2014–15, 2015–16 तथा 2016–17 के विश्लेषण पर आधारित

वर्ष 2014–15 के प्रस्तावित बजट में पेंशन योजनाओं हेतु आंवटित राशि 3353.59 करोड़ रू. रखी गई थी जिसको संशोधित बजट में बढ़ा कर 3794.73 करोड़ रू. कर दिया गया था परन्तु इसी वर्ष के वास्तविक व्यय में संशोधित बजट की तुलना में 128.75 करोड़ रू. की कमी देखी गयी है। यह कमी तीनों वर्गों की पेंशन में देखी जा सकती है।

इस वर्ष मुख्यमंत्री वृद्धजन सम्मान पेंशन योजना, मुख्यमंत्री एकलनारी सम्मान पेंशन योजना तथा मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन सम्मान पेंशन योजना को मुख्यशीर्ष '2235–सामाजिक सुरक्षा व कल्याण' के उप मुख्यशीर्ष 60 में लघुशीर्ष 196 के उप शीर्ष (02) के आयोजना व्यय के मद में दिखाया गया है जो कि पिछले वर्ष तक उप शीर्ष (01) के आयोजना भिन्न व्यय के मद में दिखाया जाता था। इन तीनों पेंशन योजनाओं के लिये आंवटित राशि को वर्ष 2015–16 के संशोधित बजट में दी गयी राशि के बराबर ही रखा गया है। इस वर्ष वृद्धावस्था पेंशन के लिये कुल 2971.52 करोड़ रू., विधवा पेंशन के लिये कुल 482.73 करोड़ रू. तथा निशक्त पेंशन हेतु कुल 228.1 करोड़ रू. की राशि व्यय हेतु रखी गई है।

वर्ष 2013–14 में राज्य की वृद्धावस्था तथा विधवा पेंशन योजना के अंतर्गत पेंशन पात्रता हेतु लाभार्थियों के परिवार में 25 वर्ष या इससे अधिक उम्र के सदस्य नहीं होने की शर्त के समाप्त होने के बाद तथा पेंशन योजनाओं के विस्तार के लिये 20 अप्रेल से 15 जून 2013 तक लगाये गये पेंशन शिविरों के कारण पेंशन लाभार्थीयों की संख्या में काफी बढ़ोतरी हुयी। तथा पेंशन योजनाओं पर खर्च की जा रही कुल राशि 2013–14 के संशोधित बजट में 2831.93 करोड़ रू हो गई जो कि बजट अनुमान में सिर्फ 1012.81 करोड़ थी। राज्य सरकार के इसी वर्ष के वास्तविक व्यय के अनुसार वर्ष 2013–14 में उक्त पेंशन योजनाओं पर कुल 2801.776 करोड़ रू. की राशि खर्च की गई जो कि 2013–14 के संशोधित बजट से 30.15 करोड़ कम है। इसमें वृद्धावस्था पेंशन पर 2221.025 करोड़, विधवा पेंशन के लिये 400. 94 करोड़ तथा निशक्त पेंशन हेतु 179.8 करोड़ की राशि खर्च की गई।

तालिका : उक्त पेंशन योजनाओं के लाभार्थियों की संख्या **(लाख में)**

	वृद्धावस्था पेंशन	विधवा पेंशन	निःशक्त पेंशन	कुल
31 मार्च 2013	8.71	4.04	1.64	14.40
15 जून 2013	–	–	–	40.43
31 मार्च 2014	45.91	7.66	3.57	57.15
19 मार्च 2015	46.6	7.6	3.6	57.8
21 मार्च 2016	46.6	7.7	3.6	57.9

स्रोतः सामाजिक सुरक्षा पेंशन, राजस्थान (http://rajssp.raj.nic.in)

जैसा कि पहले बताया गया है, पेंशन योजनाओं में विस्तार के लिए किये गये प्रयासों के चलते लाभार्थीयों की संख्या में काफी बढ़ोतरी हुयी है। सामाजिक सुरक्षा पेंशन की वैबसाइट पर मौजूद लाभार्थीयों की संख्या पर दस्तावेज़ (सारणी 2) से ज्ञात होता है कि कुल पेंशन लाभार्थीयों की संख्या 31 मार्च 2013 को 14.40 लाख से बढकर 15 जून 2013 को 40.43 लाख हो गयी, मार्च 2014 में यह संख्या बढ़कर 57.1 लाख हो गयी है, परन्तु मार्च 2015 में लाभार्थीयों की संख्या में केवल 65 हज़ार तथा मार्च 2016 में केवल 10 हज़ार की बढोत्तरी हुयी है।

उपरोक्त पेंशन योजनाओं के बजट में हांलाकि सरकार ने पिछले वर्ष के संशोधित बजट की तुलना में वृद्वि की है लेकिन यदि देखा जाये तो पेंशन योजनाओं के लिये आवंटित कुल बजट 3682.35 करोड़ रू. राज्य के कुल खर्च 171260.99 करोड़ रू. का केवल 2.1 प्रतिशत ही है। क्योंकि इन पेंशन योजनाओं के माध्यम से खर्च की जा रही राशि समाज के एक कमजोर तबके के लिये अत्यंत आवश्यक है इसलिये हमें आशा है कि सरकार आगामी वर्षों मे इन पेंशन योजनाओं को और मजबूती से लागू करने के प्रयास करेगी।